प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण
का
द्विवर्षीय पाठ्यक्रम आधारित नोट्स

Year : 1st
Paper : IX
Subject : SST

Compiled & Edited by Ms. Amina Kujur

PRIMARY TEACHERS EDUCATION COLLEGE

Gurwa, P. O.- Sitagarha, Dist. – Hazaribag -825 303, Jharkhand, INDIA

(A Jesuit Christian Minority Institution)

Recognized by ERC, NCTE vide order No. BR-E/E- 2/96/2799(12) dt 11.02.1997

Phone No. 06546-222455, Email: ptecgurwa1997@rediffmail.com Website: www.ptecgurwa.org

अनुक्रमणिका

प्रथम वर्ष

सामाजिक विज्ञान शिक्षण : विषयवस्तु सह शिक्षण विधि

इकाई 4 – केन्द्रिय एवं राज्य शासन

- केन्द्रीय एवं राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका ।
- स्थानीय स्वशासन – जिला परिषद्, गाम पंचायत, नगरपालिका, नगर–निगम।

इकाई – 4

(केन्द्रीय एवं राज्य शासन)

स्थानीय स्वशासन – जिला परिषद्, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम

स्थानीय स्वशासन – ''स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है ।''

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है । लोकतंत्र की मूलभूत मान्यता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में होनी चाहिए, सभी व्यक्ति इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष जुड़कर शासन कार्य से संबंध हो सके, इस प्रकार का अवसर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था द्वारा संभव हो सकता है । स्थानीय स्वशासन जनता द्वारा शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है ।

स्थानीय स्वशासन के दो क्षेत्र हैं – ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र ।

पंचायतो राज ग्रामीण व्यवस्था एवं **नगरपालिका** नगरीय व्यवस्था को कहा जाता है ।

स्थानीय स्वशासन

ग्रामीण क्षेत्र	नगरी क्षेत्र
ग्राम पंचायत	नगर निगम
जनपद पंचायत	नगरपालिका
जिला पंचायत	नगर पंचायत

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन :– भारत में प्राचीन काल से ही भिन्न–भिन्न नामों से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है । स्वंतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीजी के प्रभाव पंचायती राज व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया । 1993 में 73वाँ संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है ।

1. पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगी । इसमें एक या एक से अधिक गाँव शामिल किए जा सकते हैं ।
2. ग्राम पंचायत कर शक्तियों के संबंध में राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा । जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ दो स्तरीय पंचायत (जिला व ग्राम) का गठन किया जाएगा ।
3. सभी स्तरों की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव 'वयस्क मताधिकार' के आधार पर पांच वर्ष के लिए किया जाएगा ।
4. ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जनपद व जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा ।
5. पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनके संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा ।
6. महिलाओ को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा ।
7. पांच वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी इनका (पंचायतों का) विघटन किय जा सकता है । परन्तु विघटन की दशा में 6 माह के अन्तगत चुनाव कराना आवश्यक होगा ।

1. ग्राम पंचायत

– पंचायती व्यवस्था में ग्रामीण स्तर के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है । इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं ।

– पंचायत का शाब्दिक अर्थ पांच पंचों की समिति से है ।

– प्राचीन काल में गांव के झगड़ों का निपटारा पांच पंचों की समिति द्वारा किया जाता था । इसी व्यवस्था से पंचायत शब्द का जन्म हुआ ।
– ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गांवों की उन्नति करना और ग्राम वासियों को आत्म–निर्भर बनाना है ।

प्रायः अधिकांश राज्यों के गांवों में एक ग्राम सभा ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती है :–

1. ग्राम सभा गांव के वयस्क नागरिकों को मिलाकर बनायी जाती है ।
2. ग्राम पंचायत में एक सरपंच, एक उप सरपंच और कुछ पंच होते हैं । ये सभी ग्राम सभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ।
3. न्याय पंचायत का चुनाव संबंधित ग्राम पंचायत करती है । न्याय पंचायत केवल ग्रामीण के निम्न स्तर के दीवानी और फौजदारी विवादों को सुनती है ।
4. न्याय पंचायत एक निश्चित धन राशि तक जुर्माना वसूल सकती है । किन्तु कारावास की दण्ड नहीं दे सकती ।

ग्राम पंचायत के कार्य

1. ग्रामीण आवास निर्माण, आबादी क्षेत्र बनाना ।
2. पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गीपालन को प्रोत्साहन देना ।
3. मत्स्य पालन को बढ़ावा देना ।
4. पेयजल, सड़क, पुल, घाट का निर्माण करना ।
5. प्रकाश व्यवस्था एवं उजाला के पारंपरिक स्त्रोंतों की व्यवस्था करना ।
6. प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी कार्य करना ।
7. परिवार एवं समाज कल्याण के कार्य ।
8. सामुदायिक सम्पत्ति का संरक्षण करना ।

ग्राम पंचायत के आय के साधन

राज्य व्यवस्थापिका पंचायतों को टैक्स लगाने एवं उनसे प्राप्त धन को व्यय करने का अधिकार देती है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है । इस आय–व्यय का जांच करने के लिए वित्त आयोग गठित किया गया है । जो अपनी रिपोर्ट प्रति 5 वर्ष में राज्यपाल को देगा ।

2. जनपद पंचायत

ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद् के मध्य में स्थानीय निकाय के गठन को **'जन पंचायत'** कहते हैं ।
– इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है ।
– जनपद पंचायत में उससे संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच उसके सदस्य होते हैं तथा सह–सदस्य के रूप में उस क्षेत्र के संसद सदस्यों तथा विधान मंडल सदस्य तथा विधान मंडल के सदस्य भी होते हैं ।
– इसमें कुछ सदस्य महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों में से मनोनीत भी किए जाते हैं ।
– जनपद पंचायत की एक प्रशासनिक ईकाई होती है जिसका प्रमुख कार्यपालन अधिकार्ष कहलाता है ।

जनपद पंचायत के कार्य

जनपद पंचायत कई प्रकार के कार्य करते है । यह अपने क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का प्रबंध करती है तथा विकास कार्य की देख–रेख करती है ।
इसके कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. आग, बाढ़, सूखा, भूकम्प, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता की व्यवस्था करना ।
2. सार्वजनिक बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों का प्रबंध करती है ।
3. तीर्थ यात्राओं में जाने तथा पर्व त्योहारों का प्रबध करना ।
4. ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम की व्यवस्था करना ।
5. राज्य सरकार द्वारा सौंपे अन्य कार्य करना है ।

आय के साधन

इनकी आय का मुख्य साधन राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है । जो कि विकास खण्ड के लिए वित्तीय सहयोग है । इसके अतिरिक्त मकान, जमीन, मेलों, बाजारों पर कर भी लगाती है ।

3. जिला पंचायत या जिला परिषद्

पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर **'जिला–पंचायत'** होती है । यह जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों तथा राज्य सरकार के मध्य तालमेल बैठाने का कार्य करती है ।

गठन

साधारण जिला पंचायत में उस जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष उसके सदस्य होते हैं । कुछ राज्यों में सदस्यों के चुनाव भी होते हैं । जैसेः– छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में होते हैं । जिला पंचायत (परिषद्, निर्वाचित सदस्यों, जिला सरकारी बैंक एवं विकास बैंक के अध्यक्ष उस जिले के लोक–सभा, राज्य–सभा, विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है ।

जिला पंचायत / जिला परिषद् के कार्य

जिला–पंचायत, जिले की पंचायत व्यवस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा विकास कार्यों को समन्वित करती है । यह पंचायत समितियो में, राज्य सरकार से प्राप्त तत्कालीन अनुदान को वितरित करती है । राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी करती है ।

आय के साधन

जिला पंचायत के आय का प्रमुख साधन राज्य सरकारों से प्राप्त धन राशि है । इसके अलावा जनपद पंचायतों से अंशदान प्राप्त होना, कुछ छोटे कर लगाना आदि आय के स्त्रोत हैं ।

नगरी स्थानीय स्वशासन

नगरीय (शहरी) स्वशासन व्यवस्था के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । लेकिन सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया था कि इस संबंध में कानून केवल राज्य द्वारा ही बनाया जा सकता है ।

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्व–शासन के संबंध में प्रावधान

संसद 74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन् 1993 द्वारा, स्थानीय नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ।

1. नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है ।
2. नगर पालिका परिषद् का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा ।
3. नगर निगम का गठन बड़े नगरों के लिए होगा ।
4. नगरीय (शहरी) स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, नगर में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाएगी ।
5. नगरीय संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होगी, लेकिन इन संस्थाओं का 5 वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा ।
6. नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा ।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की जनसंख्या होगी उनमें भी एक तिहाई स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी ।

नगर निगम

– बड़े नगरों में स्थानीय स्व–शासन संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं ।

– नगर निगम की स्थापना राज्य शासन विशेष अधिनियम द्वारा करती है ।

– छत्तीसगढ़ में 08 नगर निगम (रायपुर, दुर्ग, भिलाई, विलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर) हैं ।

– सामान्यतः नगर निगम की संरचना निर्वाचित पार्षदों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत क्षेत्रीय संसद व विधायकों से होती है । किन्तु निर्वाचित पार्षदों के निर्वाचित पार्षदों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का सामान्य परिषद् में मत देने का अधिकार नहीं हाता है ।

निगम का कार्य संचालन तीन प्रधिकरणों के अधीन होता है

1. **सामान्य परिषद्**
2. **स्थायी समिति**
3. **निगम आयुक्त**

– सामान्य परिषद् को नगर निगम की विधायिका कहा जाता है । इसके सदस्यों को जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है जिसे नगर पार्षद कहा जाता है ।

– नगर को उतने ही वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जितने सदस्य चुने जाते हैं ।

– नगर निगम में वार्डों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के अधिकार में होता है ।

– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं के लिए नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था होती है ।

पार्षद पद हेतु योग्यता

1. भारत का नागरिक हो ।
2. उसका नाम मतदाता सूचि में हो ।
3. अन्य योग्यताएँ, जो कानून द्वारा निश्चित की गई हो ।

– नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर (मेयर) कहा जाता है ।

– महापौर (मेयर) का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है । उसका कार्य निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसका संचालन करना है ।

– नगर निगम के महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष है ।

– नगर निगम के पार्षद, महापौर का अविश्वास–प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं किन्तु ये प्रस्ताव कुछ पार्षदों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक है ।

नगर निगम के कार्य

नगर निगम एक व्यवस्थापिका की तरह कार्य करती है । इसके कार्य को अनिवार्य और ऐच्छिक में बांट सकते हैं जो कार्य निम्नलिखित हैंः–

1. भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण करना । गंदी बस्तियों में सुधार करना ।
2. स्वच्छ जल, सड़क, प्रकाश एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना ।
3. जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था करना ।
4. शैक्षिक एवं उद्यान, खेल का मैदान की व्यवस्था कराना ।
5. जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं शवदाह गृह की व्यवस्था करना ।
6. अग्निशमन सेवाएँ इत्यादि ।

आय के स्त्रोत

निगम अपने स्तर पर संसाधनों से आय जुटाती है । जैसेः– सम्पत्ति कर, जलकर, अग्निकर, सम्पत्ति हस्तांतरण कर, बाजार कर दुकार कर, चुंगी कर, विज्ञापन कर आदि ।

इसके अतिरिक्त ये निकाय सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं ।

नगर पालिका

छोटे शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थायें नगर पालिका कहलाती हैं । नगर पालिका का गठन एवं उसकी कार्य शक्ति के लिए राज्य सरकार अधिनियम बनाती है ।

गठन

– नगर पालिका के सदस्यों की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है । नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है ।

– नगर को वार्ड में बांट दिया जाता है । इसमें से कुछ वार्ड अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए किए गए सुरक्षित निम्न हैं:–

1. आयु 25 वर्ष से कम न हो ।
2. उसका नाम उस नगर के मतदाता सूची में हो ।
3. किसी विधि द्वारा सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर न हो ।
4. केन्द्रीय, राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर न हो ।

– नगर पालिका के **'अध्यक्ष'** का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है । इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता पार्षदों का भी निर्वाचन करते हैं ।

– नगर पालिका के पार्षद अपने में से गुप्त मतदान द्वारा एक **'उपाध्यक्ष'** चुनते हैं ।

– नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा भी सकते हैं ।

– नगर पालिका की एक **'परिषद्'** होती है जिसकी बैठक 1 माह में एक बार आवश्यक है ।

– बैठक की अध्यक्षता 'अध्यक्ष' करता है ।

नगर पालिका परिषद् का प्रशासन

प्रशासनिक व्यवस्था हेतु प्रत्येक नगर पालिका अधिकार की व्यवस्था की गई है । ये विभिन्न परिषदों व समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वित करते हैं ।

– नगर पालिका अपने विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु समितियाँ, उपसमितियाँ गठित करती है । इस समिति में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ स्थायी सदस्य भी होते ह । जैसे:– कार्यपालन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई अधिकारी, म्यूनिसीपल इंजीनियर, ओवरसियर, चुंगी अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ आदि ।

नगर पालिका की चार श्रेणियाँ

1. **प्रथम श्रेणी** :– 50 हजार जनसंख्या वाले नगरों में ।
2. **द्वितीय श्रेणी** :– 50 हजार से कम 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगर ।
3. **तृतीय श्रेणी** :– 10 हजार से अधिक 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगर ।
4. **चतुर्थ श्रेणी** :– 10 हजार से कम जनसंख्या वाले नगर ।

नगर पालिका के कार्य

सामान्यतः नगर निगम और नगर पालिका के कार्य लगभग समान हैं । सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएँ, सार्वजनिक शिक्षा आदि क्षेत्र में इसके महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

1. सार्वजनिक सड़कों, भवनों पर प्रकाश की व्यवस्था करना ।
2. अग्निशमन (आग बुझाने की व्यवस्था करना) ।
3. नगर की सफाई कराना ।
4. जन्म–मृत्यु का पंजीयन कराना ।
5. संक्रमक रोगों से बचाव करना आदि नगर पालिका द्वारा किये जाते हैं ।

नगर पंचायत

नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था है । 'नगर पंचायत' की व्यवस्था वहाँ की जाती है जो संक्रमणशील क्षेत्र हों । अर्थात् ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं ।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय के बीच की श्रेणी वाले क्षेत्रके लिए नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है । विभिन्न राज्यों में इनको भिन्न–भिन्न नाम दिए गए हैं । जैसेः– विहार में इसे **'अधिसूचित क्षेत्र समिति'** कहा जाता है परन्तु छत्तीसगढ़ में इसे **'नगर पंचायत'** कहा जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कुल नगर पंचायतों की संख्या 72 है । नगर पंचायत के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है । नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है । पार्षद व अध्यक्ष का निर्वाचन उस नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है । पार्षद अपने में से एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं । नगर पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष होता है । पांच वर्ष के पूर्व भी यह भंग हो सकती है, किन्तु 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन होना आवश्यक है ।

नगर पंचायत के कार्य

1. सड़क, नाली, गली आदि की सफाई करना ।
2. सार्वजनिक स्थानों व सड़कों, गली आदि में बिजली की व्यवस्था करना ।
3. जल प्रदान करना ।
4. सार्वजनिक शौचालय, स्नानागार की व्यवस्था करना ।
5. सार्वजनिक बाजारों की व्यवस्था करना ।
6. आग लग जाने पर बुझाने के लिए अग्निशमन की व्यवस्था करना ।
7. शमशान घाट (स्थल) की व्यवस्था करना ।
8. जन्म व मृत्यु की पंजीयन करना ।
9. गंदगी सुधार, पार्क विकसित करना, वाचनालय की व्यवस्था इत्यादि ।

आय के स्त्रोत

आय के स्त्रोत राज्य की व्यवस्थापिका इन संस्थाओं को कर, शुल्क, पथ कर, बाजार एवं दुकार पर टैक्स निर्धारित करने, संग्रहित करने एवं व्यय करने का अधिकार देती है । राज्य सरकार की ओर से इन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है ।

संघीय कार्यपालिका एवं प्रकार

भारतीय संविधान ने ब्रिटेन की मंत्री–मंडलीय उत्तरदायी शासन प्रणाली को अपनाया है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति –निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढाँचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी सम्मिलित होता है। इस अध्याय में संघीय कार्यपालिका के तहत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रोपरिषद् महान्यायवादी तथा अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

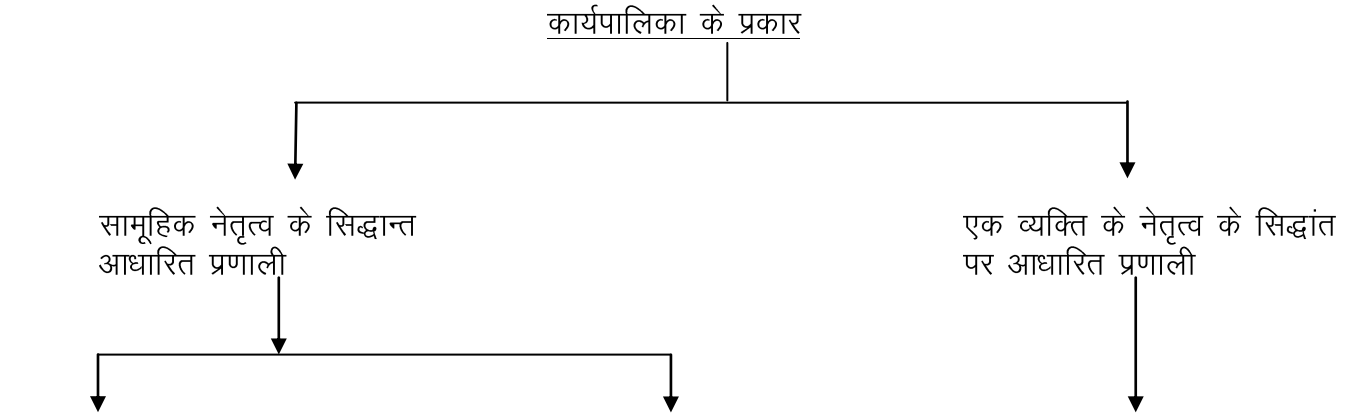

- सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है है।
- यह विधायिका मे बहुमत–दल प्रत्यक्ष के नेता होता है।
- वह विधायिका के प्रति नहीं जवाबदेह होता है।

राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद् विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।

राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। वही सरकार का भी प्रमुख होता

राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर मतदान द्वारा किया जाता है।

वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता।

राष्ट्रपति

- अनुच्छेद 52–भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का प्रधान तथा प्रथम नागरिक होगा।
- अनुच्छेद 53 – के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और वह इसका प्रयोग स्वंय या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली

1. **निर्वाचन हेतु योग्यता –**
   क. भारत का नागरिक हो।
   ख. न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।
   ग. लाकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।

घ. चुनाव के समय लाभ के पद पर न हो।

नोट :– एक वर्तमान राष्ट्रपति या उप–राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है।

2. **राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है** : जिसके सदस्य होते है।
   क. लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य (मनोनित सदस्य निर्वाचक मण्डल में शामिल नहीं होंगे)
   ख. सभी राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य (राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते है)।

नोट :–

1. राज्यपाल द्वारा मनोनीत एग्लो इण्डियन सदस्य निर्वाचक मण्डल में नहीं होंगे।
2. केन्द्र शासित प्रदेश में दिल्ली तथा पाण्डिचेरी के विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल हैं।
3. चुनाव के समय एक या दो राज्यों की विधान सभा भंग हो, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा।

राष्ट्रपति चुनाव के अन्य अर्हता –

- राष्ट्रपति चुनाव के लिये जमानत राशि 15,000 रूपये है जो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करना होता है। (जमानत जब्त होने का अर्थ है – कुल वैध मत का 1/6 से कम मत मिलना)।
- राष्ट्रपति के उम्मीदवारी हेतु निर्वाचक मण्डल में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए।

चुनाव प्रणाली एवं प्रक्रिया

- राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी होने के लिये एक निश्चित कोटा प्राप्त करना अनिवार्य ह –

$$\text{विजय कोटा} = \frac{\text{कुल वैधमत}}{2} + 1$$

- निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य समान नहीं होता। प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य जानने के लिय निम्न सुत्र अपनाये जाते हैं।
  सुत्र संख्या – 1 विधान सभा के निर्वाचित सदस्य का मतमूल्य

$$= \frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{विधान सभा के निर्वाचित सदस्य} \div 1000}$$

अगर भागफल का शेष 500 से कम हो तो वही अंक वैध होगा और यदि यह .500 से अधिक हो तो अगले अंक को शामिल किया जायेगा।

सुत्र संख्या –2

$$\text{सांसद सदस्य का मतमूल्य} = \frac{\text{सभी विधान सभा सदस्यों के मतमूल्य का योग}}{\text{कुल निर्वचित सांसद}}$$

- वर्तमान में इस प्रणाली के तहत्
  क. एक सांसद के मत का मूल्य 708 है।
  ख. जबकि राज्यों में सर्वाधिक मतमूल्य उतर प्रदेश के विधायकों का 208 है।
  ग. सबसे कम मत मूल्य सिक्कम के विधायकों का 7 हैं।
- राष्ट्रपति के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणोय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है।

राष्ट्रपति का कार्यकाल

क. पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिये होता है।
ख. समय से पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकता है।
ग. अनुच्छेद 61– में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा संविधान के उल्लंघन/अतिक्रमण करने की दशा में राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है।

महाभियोग प्रक्रिया

महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता हैं, परन्तु उसके लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य–संख्या के कम–से–कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हो सकंल्प की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना आवश्यक है। फिर इसे प्रस्तावित सदन में 2/3 बहुमत से इस संकल्प प्रस्ताव को मंजूर करना होगा।

संसद के एक सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तथा दूसरे सदन द्वारा उस आरोप का अन्वेषण किया जाता है। इसके तहत् यह सदन राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा। जवाब से असंतुष्ट होने पर यदि दूसरे सदन द्वारा भी 2/3 बहुमत से सकंल्प को पारित कर दिया जाए तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति पदमुक्त समझा जायेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य :–

- राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय में होता हैं।
- अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहे तो उसे छः माह के अंदर भरना होता है।
- राष्ट्रपति दुसरे या कई कार्यकाल हेतु निर्वाचित हो सकता है।
- राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश/वरिष्टम न्यायधीश करता है।

राष्ट्रपति की सुविधाएं

1. इसका वेतन वर्तमान में 1.5 लाख रूपये है।
2. इसका वेतन आयकर से मुक्त होता है।
3. इसे निःशुल्क आवास (राष्ट्रपति भवन) तथा संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते दिये जाते है।
4. इसे पदमुक्त होने पर वेतन राशि का आधा मासिक पेंशन मिलता है।
5. इसे फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ, एवं 60 हजार रूपये प्रतिवर्ष तक कार्यालयीन खर्च मिलता है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार शक्तियाँ

राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, यहां तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही जेल भेजा जा सकता है, हालांकि दो महीने के नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है।

नई प्रोटोकॉल व्यवस्था के अनुसार 'महामहिम' नहीं 'राष्ट्रपति महोदाय' स्वीकृत

- महामहिम शब्द का देश में होने वाले कार्यक्रमों और भारतीय गणमान्य लोगों तथा राष्ट्रपति के बीच मुलाकात के दौरान प्रयोग नहीं किया जाएगा। राज्यपालों के लिए अब इसका प्रयोग नहीं होगा।
- राष्ट्रपति भवन के द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान अब हिंदी में महामहिम के स्थान राष्ट्रपति महोदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

- जब देशवासियों से मुलाकात और कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रपति के लिए अंग्रेजी में 'हिंज एक्सलेंसी' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हिंदी में 'महामहिम' नहीं बल्कि सिर्फ राष्ट्रपति महोदय का संबोधन ही प्रयोग में लाया जाए।
- अब राष्ट्रपति सचिवालय के कामकाज में भी महामहिम की जगह राष्ट्रपति जी का ही प्रयोग होगा। एक्सलेंसी जैसे संबोधन तभी प्रयोग में लाए जाएंगें, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी मेहमान के साथ होंगे। यह भी कहा गया है कि सम्मान देने के लिए सिर्फ ओनरेबल शब्द का ही प्रयोग राष्ट्रपति या गवर्नर के नाम के साथ किया जाए और नाम के पहले पारंपरिक भारतीय संबोधन जैसे श्री या श्रीमति का भी प्रयोग किया जाए।

सम्बोधन में प्रमुख बदलाव

1. हिज एक्सीलेंसी शब्द का प्रयोग देश में आयोजित कार्यक्रमों तथा राष्ट्रपति की भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान उपरोक्त शब्द प्रयुक्त नहीं होगा।
2. ऐसे अवसरों पर महामहिम के स्थान पर राष्ट्रपति महोदय शब्द का प्रयोग होगा।
3. राष्ट्रपति और राज्यपाल पदनाम से पहले माननीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय परंपरा के अनुसार नाम के पहले श्री या श्रीमती लगाया जाएगा।
4. एक्सीलेंसी का प्रयोग केवल विदेशी अतिथियों के साथ बातचीत में प्रयोग होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है।
5. राष्ट्रपति सचिवालय की आधिकारिक टिप्पणियों में महामहिम के स्थान पर राष्ट्रपति जी करने का निर्णय किया गया है।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य

राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार एवं शक्तियों का वर्गीकरण निम्नरूपेन हैः–

(A) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

- अनुच्छेद 74–(A)– के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति इसकी सलाह पर कार्य करेगां
- सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राष्ट्रपति करता है। जैसे – प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद्, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालखा परीक्षक, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त एवं इसके सदस्य, संघ लोक सेवा अयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अंतराज्जीय परिषद् का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों इत्यादि।
- अनुच्छेद 98– के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपारिषद् के निणर्यों को प्राप्त करता है।
- विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा उसे पदमुक्त करता है।
- अब लोक सभा में किसी दल का बहुमत न हो तो स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।

(B) राष्ट्रपति की विधायी शक्ति

- राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यह संसद के सत्र को आमंत्रित करता है, सत्रावसान करता हैं तथा लोकसभा को भंग करता है।
- वह प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों मे प्रथम अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है।
- दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है।

➢ अनुच्छेद 331 – के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन तथा अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।

राष्ट्रपति की वीटो (निषेधाधिकार) शक्तियाँ

भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार की वीटों शक्ति प्राप्त हैं–
क. आत्यंतिक वीटो ख. निलम्बनकारी वीटो तथा ग. जेबी वीटो
घ. विशेषित वीटो

क. आत्यंतिक वीटो (Absoulute Veto) – इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात् वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है।

ख. निलम्बनकारी वीटो (Supension Veto) – इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है।

ग. जेबी वीटो (Pocket Veto)– इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देने हेतु के समय सीमा निर्धारित नहीं है, अतः इस समय सीमा के अभाव में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है, न ही अनुमति देने से इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजना है। विवादास्पद भारती डाक (संशोधन) विधेयक 1986 के सम्बन्ध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था।

❖ **अध्यादेश जारी करने का अधिकार** – संविधान के अनुच्छेद 123 (1) के अनुसार जब संसद का अधिवेशन न हो रहा तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशजारी किया जा सकता ह। यह अध्यादेश उतना प्रभावपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है जितना कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून, परन्तुये अध्यादेश चाहे तो इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों से सम्बन्धित अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके बारम संसद विधियाँ बना सकती है।

➢ कुछ विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति प्राप्त कर ही संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं। जैसे–
क. धन विधेयक
ख. राज्यों के नाम, समीा या क्षेत्र परिवर्तन से जुड़े विधेयक
ग. वित आयोग की सिफारिशें
घ. संघ लोक सेवा आयोग की रिर्पोट इत्यादि।

(C) वित्तीय शक्तियाँ

❖ राष्ट्र के नाम से ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्तमंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) प्रस्तुत किया है।
❖ उसकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।
❖ राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना किसी अनुदान की माँग सदन में नहीं रखी जा सकती।
❖ उसके द्वारा प्रतिवर्ष नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ आदि संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है।
❖ भारत की आकस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से अचानक पड़ने वाले खर्चो के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है।

❖ केन्द्र तथा राज्यों के मध्य करों के विभाजन के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है।

(D) राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति

❖ इसके तहत राष्ट्रपति को तीन प्रकार की शक्ति प्राप्त है।

क. इसे सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। यह हाइकोर्ट के न्यायधिशों का स्थानान्तरण भी करता है।

ख. अनुच्छेद 143 – के तहत राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से किसी कानुनी एवं संवैधानिक मामले पर सलाह मांग सकता है। ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने हेतु बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है।

ग. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उन्हे क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। वह दण्ड को पूर्णरूप से क्षमा अथवा स्थागित कर सकता है। अथवा दण्ड में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस अधिकार का प्रयोग केवल तीन प्रकार के दण्डों के सम्बन्ध में किया जा सकता है–

1. यदि दण्ड किसी सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो,
2. यदि दण्ड केन्द्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में दिया गया हो।
3. यदि अपराधी को मृत्यु–दण्ड दिया गया हो। व्यवावहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श द्वारा ही किया जा सकता है।

(E) राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद– 72)

राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलनम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।

1. **क्षमा (Pardon)** – इसके तहत दोषी को दिया गया दण्ड पूरी तरह समाप्त हो जाता है तथा व्यक्ति सभी आरोपों एवं दण्ड से मुक्त हो जाता है।
2. **प्रतिलम्बन** (Reprieve) – प्रतिलम्बन से अभिप्राय विधि द्वारा निर्धारित दण्ड को अस्थायी रूप से टालना है। इसका प्रयोग दण्ड के अनुपालन में विलम्ब हेतु किया जाता है।
3. **विराम** (Respite) – विराम से अभिप्राय दण्ड के क्रियान्वयन को भविष्य के लिए विलम्बित करना है। इसके अंतर्गत किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए दिए गए दण्ड के स्थान पर कोई छोटा दण्डादेश दे दिया जाता है। उदाहरणस्वरूप – किसी स्त्री अपराधी का गर्भवती होना।
4. **परिहार** (Remission) – परिहार से अभिप्राय दण्ड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना है। उदाहरणस्वरूप – आजीवन कारावास को दस वर्ष के कारावास में परिवर्तन करना।
5. **लघुकरण** (Commutation) – लघुकरण से अभिप्राय दण्ड के स्वरूप मे परिवर्तन कर उनकी मात्रा में कमी करना है। उदाहरणस्वरूप – मृत्युदर को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना।

उच्चतम न्यायालय ने केहर सिंह बनाम भारत संघ राज्य वाद – 1984 के मामले मे राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत दिये जिनके आधार पर राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।

1. दया याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
2. राष्टपति प्रमाणी (साक्ष्य) का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है।
3. राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा।
4. राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
5. राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता बल्कि प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है।

6. राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा–निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
7. राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती सिवाए वहां जहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेकरहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण हो।
8. जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो, तो दूसरी याचिका नहीं दायर की सकती।

(F) राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति

- यह तीनों सेना का प्रधान सेनापति है।
- यह सभी रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति करता है।
- यह युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है।

(G) राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियाँ

- यद्यपि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद् की सलाह से काम करें, परन्तु कुछ निम्नलिखित परिस्थितियों में उन्हें अपने विवेक तथा बृद्धि का उपयोग करना पड़ता है।
  1. किसी भी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करता है।
  2. ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन जिसने लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो दिया हो अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो।
  3. यदि पदासीन प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा सत्तारूढ़ दल नए नेता का चुनाव करने हेतु तत्काल बैठक न कर सकता हो, मंत्रिमण्डल के मंत्रिमण्डल के मन्त्रियों के बीच कोई निश्चित वरिष्ठताक्रम न हो अथवा मंत्रिमण्डल से बाहर के किसी नाम का सुझाव दिया गया हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति हेतु स्वविवेक का उपयोग किया जा सकता है।
  4. यदि मंत्रिपरिषद् ने लोकसभा में विश्वास खो दिया हो, परन्तु वह इस्तीफा देने के लिए तैयार न हो, तो उस स्थिति में मंत्रियों की बर्खास्तगी के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का उपयोग किया जा सकता है।
  5. जेबी वीटो का प्रयोग करने में राष्ट्रपति अपने विवके का उपयोग करता है।

(H) राष्ट्रपति की आपात कालीन शक्ति

- संविधान के भाग 18 तथा अनुच्छेद 352–360 के बीच आपात कालीन शक्तियों का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 352–इसके तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अंशाति से उत्पन्न संकट की स्थिति में राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा करता है।
- यह राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर घोषित करेगा।
- राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा की 1 माह के अंदर संसद में 3/5 बहुमत से अनुमति लना अनिवार्य है।
- इसकी अवधि 6 माह है, परन्तु इसे कई बार बढ़ाया जा सकता है।
- लोक सभा भंग हो तो, राज्यसभा का अनुमोदन की पर्याप्त होगा।
- अभी तक भारत में तीन बार राष्ट्रीय आपात काल लगाये गये हैं–
  1. भारत–चीन युद्ध के समय – 29 अक्टूबर 1962 ई०।
  2. भारत–पाक युद्ध के समय – 03 दिसम्बर 1971 ई०।

3. आतंरिक अशांति के कारण – 25 जुन 1975 ई०।

- अनुच्छेद 356–के अनुसार अगर किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाये तो राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति शासन लागु कर सकता है।
- इस तरह घोषित राष्ट्रपति शासन को 2 माह के अंदर संसद की मंजूरी लेनी जरूरी है।
- इसकी अवधि 6 माह है, परन्तु इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया। पंरतु सर्वाधिक बार केरल में लागू हुआ।
- अनुच्छेद 360– के अनुसार अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश की आर्थिक दृढ़ता या साख को खतरा है, तो वह वितीय अपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- इस उद्घोषणा को संसद से 2 माह के अंदर मंजूरी आवश्यक है।
- एक बार मंजूरी मिलने पर यह अनिश्चित काल तक लागू रहेगा।
- भारत में इसका प्रयोग अभी नहीं किया गया है।

(I) राष्ट्रपति के चुनाव–संबंधी तथ्य

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति रहे।
- डॉ. राधाकृष्णन दो बार उपराष्ट्रपति एवं एक बार राष्ट्रपति रहे।
- चौथे राष्ट्रपति वी. बी. गिरी के निर्वाचन के समय दूसरा चक्र की मतगणना की आवश्यकता पड़ी।
- नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एक मात्र राष्ट्रपति रहे जो चौथे निर्वाचन में परास्त हुए और बाद में छठें राष्ट्रपति के रूप निर्विरोध निर्वाचित हो गए।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, फखरूद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे या है जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे।
- पेप्सू विनियोजन विधेयक 1954 पर राष्ट्रपति ने मात्र एक बार संसद द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया था।
- फखरूद्दीन अली अहमद और डॉ. जाकिर हुसैन अपना–अपना कार्यालय नहीं पूरा कर सके।

राष्ट्रीय आपात व राष्ट्रपति शासन में तुलना

राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद–352)	राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद –356)
1. यह तभी लगाया जाता है जब भारत की सम्पूर्ण या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हों।	1. राष्ट्रपति शासन की घोषणा तक की जाती हैं, जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया नहीं जा सकता हो।
2. राष्ट्रीय आपात में राज्य की कार्यपालिका व विधानमण्डल कार्य करते हैं।	2. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका विघटित हो जाती है जबकि विधायिका भी निलम्बित या विघटित हो सकती है।
3. राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद स्वयं ही राज्यसूची पर कानून बना सकती है।	3. राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद कानून बनाने की शक्ति हेतु किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकती हैं।
4. इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।	4. इसके लिए अधिकतम सीमा 3 वर्ष हैं।
5. संसद को दोहरे बहुमत से 1 महीने के अंदर पारित करना पड़ता है।	5. इसे संसद को दोहरे बहुमत से 2 महीने के अंदर पारित करना पड़त हैं।

6. इसमें मौलिक अधिकार भी प्रभावित होते है।	6. इसमें मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते है।
7. इसे हटाने के लिए लोकसभा भी साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर सकती है।	7. इसे राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति : परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

क्र. नाम	विशेष तथ्य
1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1. संविधान सभा के अध्यक्ष, हिंदू कोड बिल मुद्दे पर मतभेद व लगातार 2 कार्यकाल के राष्ट्रपति रहने का कीर्तिमान।
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	2. 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे (पूर्व में राजदूत)।
3. डॉ. जाकिर हुसैन	3. कार्यकाल में निधन तथा सबसे छोटे कार्यकालवाले राष्ट्रपति (पूर्व में बिहार राज्यपाल)
4. वी. वी गिरि (प्रथम कार्यवाहक)	4. उपराष्ट्रपति (महान मजदूर नेता एवं पूर्व में राजदूत)
5. एम. हिदायतुल्ला (कार्यवाहक)	5. सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश
6. वी. वी. गिरि	6. स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते
7. फखरूद्दीर अली अहमद	7. केंद्रीय मंत्री (राष्ट्रपति कार्यकाल में निधन), एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किये।
8. बी. डी. जत्ती (कार्यवाहक)	8. उपराष्ट्रपति
9. नीलम संजीव रेड्डी	9. प्रथम निर्विरोध निर्वाचित (1969 में पराजित होने के बाद) (पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष)
10. ज्ञानी जैल सिंह	10. प्रथम सिख राष्ट्रपति, वीटो के प्रथम प्रयोगकर्ता (भारतीय डाक बिल) (पूर्व में गृहमंत्री)
11. रामास्वामी बेंकटरमन	11. उपराष्ट्रपति
12. डॉ. शंकर दयाल शर्मा	12. उपराष्ट्रपति (4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम)
13. डॉ. के. आर. नारायणन	13. प्रथम दलित राष्ट्रपति
14. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	14. प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति (मिसाइल मैन ऑफ इंडिया)
15. प्रतिभा पाटिल	15. प्रथम महिला राष्ट्रपति (पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल)
16. प्रणव मुखर्जी	16. तीसरे केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति (पूर्व में वित्त मंत्री)।

भारत के राष्ट्रपति समय सारणी

नाम	कार्यकाल
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1950–1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1962–1967
डॉ. जाकिर हुसैन	1967–1969
वराहगिरि वेंकटगिरि	1969 (कार्यवाहक)
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्ला	1969 (कार्यवाहक)
वराहगिरि वेंकटगिरि	1969–1974
फखरूद्दीन अली अहमद	1969–1977
बी. डी. जत्ती	1977 (कार्यवाहक)

नीलम संजीवन रेड्डी	1977–1982
ज्ञानी जैल सिंह	1982–1987
आर. वेंकटरमण	1987–1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1992–1997
कोचिरिल रमण नारायणन	1997–2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	2002–2007
श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	2007–2012
प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई 2012 से अब तक

उपराष्ट्रपति

- अनुच्छेद 63 – के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 64– के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद से ही राज्यसभा का सभापति होगा।
- अनुच्छेद 65–राष्ट्रपति के मृत्यु, त्यागपत्र एवं पदमुक्ति की अवस्था में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यो एवं उतरदायित्वों को निभायेगा और इस समय वह राज्य सभा की सभापतित्व नहीं करेगा।
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं है। परंतु सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है।
- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- निर्वाचन हेतु योग्यता निर्धारित है
  1. भारत का नागरिक हो।
  2. न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो।
  3. राज्य सभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है।
  4. चुनाव समय लाभ के पद पर न हो।
  5. संसद/विधानमंडल का सदस्य न हो।
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। परन्तु यह समय से पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। साथ राज्यसभा, 14 दिन की पूर्व सूचना से बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को पद्मुक्त कर सकता है।
- नोट : बाद में इसे लोकसभा की मंजूदी भी आवश्यक है।
- उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति कराता है।
- उपराष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन 1.25 लाख है।
- उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य–
  1. राज्य सभा का संचालन करना।
  2. राज्य सभा से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना।
  3. विदेशी में सद्भावना यात्रा करना।
- उपराष्ट्रपति, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है।
- उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देता है।

उपराष्ट्रपति : महत्वपूर्ण तथ्य

- पहला उपराष्ट्रपति – डॉ० राधाकृष्णन है। ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति है जिन्हें इस पद पर दो कार्यकाल चुना गया।
- गोपाल स्वरूप पाठक, बी० डी० जती, मो० हिदायतुल्ला, कष्णकांत एवं भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति न बन सके।
- कृष्णकांत एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई।

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद

भारत में शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यद्यपित संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई है, परन्तु वास्तविक रूप में कार्यपालिका की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।

मंत्रिपरिषद् का गठन

भारत संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कर्त्तव्यों के सम्पादन में सहायक एवं परामर्श देते हुए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसक प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् ही वास्तविक कार्यपालक प्राधिकार का प्रयोग करतीहै। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रू॰ से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। व्यावहारिक तौर पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। व्यावहारिक तौर पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। व्यावहारिक तौर पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की ही इच्छा सर्वोपति रहती है। तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। मंत्रिपरिषद् में तीन श्रेणियों के मंत्री होते हैं–

1. कैबिनेट मंत्री 2. राज्य मंत्री तथा 3. उपमंत्री

1. **कैबिनेट मंत्री** – यह मंत्रियों की एक छोटी समिति होती है, जिसमें वे मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जिनका दल में महत्वपूर्ण स्थान है तथा जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते है। शासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री एक अथवा अधिक विभागों का अध्यक्ष होता है।
2. **राज्यमंत्री** – राजमंत्री दो प्रकार के हाते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को उनके मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तथा कुछ किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं।
3. **उपमंत्री** – उपमंत्री किसी कैबिनेट मंत्री अथवा किसी राज्य मंत्री की देखरेख में कार्य करते हैं। उनका प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्री अथवा राज्यमंत्री का उनके कार्यो के निष्पादन में सहायता करना है।

❖ मंत्रिपरिषद् का आकार (91 वां संविधान संशोधन)

संविधान के 91 वें संशोधन के पूर्व मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित नहीं था तथा वह समय की माँग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। क्योंकि मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। किन्तु 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या लोकसभा (अथवा राज्यों की विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

❖ योग्यता

- मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य को लोकसभा अथवा राज्स सभा का सदस्य होना चाहिए या मंत्री के पद पर नियुक्ति के बाद 6 महा के अंदर किसी भी एक सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना चाहिए अन्यथा उसे मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र देना पड़ता है।

❖ कार्यकाल

- मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है तथा लोकसभा में विश्वास खो देने पर मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।
- व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति अथवा पद–मुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती ह। यदि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री से अप्रसन्य या असंतुष्ट हो जाता है तो वह उसे पद–त्याग करने की सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, अथवा अपनी मंत्रिपरिषद् का इस्तीफा देकर एवं सम्बन्धित मंत्री को छाँटकर उसका पुनर्गठन कर सकता है।

❖ उत्तदायित्व

- संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के तहत् सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। अर्थात् मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरकार के सभी कार्यों के लिए सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद् एक टोली अथवा टीम के रूप में कार्य करती है। तथा इसके सदस्य साथ में डूबते अथवा उबरते हैं। यदि लोकसभा एक भी मंत्री में अविश्वास व्यक्त कर देती है तो समूची मत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ जाता है।
- मंत्रियों के उत्तरदायित्व का दूसरा पक्ष भी है कि संम्बधित मंत्रालयों एवं विभागों के मंत्री विभागीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते है।
- संविधान के अनुच्छेद 75 (2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। अर्थात् इस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
- अनुच्छेद के अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

❖ मंत्रिमण्डल की शक्तियाँ एवं कार्य

- **राष्ट्रीय नीति का निर्धारण** – राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना मंत्रिमण्डलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। उसके द्वारा आंतरिक प्रशासन एवं वैदेशिक क्षेत्राों से सम्बन्धित विषयों के सन्दर्भ में यथोचित नीतियों का निर्धारण किया जाता है।
- **कार्यपालिका का नियत्रण** – केन्द्रीय सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तविक तौर पर मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमण्डल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जिनके द्वारा अपने विभागों के कार्यों का संचालन किया जाता है। व्यावहारिक रूप में राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रीमण्डल द्वारा किया जाता है, अतः युद्ध, शांति अथवा वैदेशिक नीतियों से सम्बन्धि प्रश्नों का निर्णय उसी के द्वारा लिया जाता है।
- **नियुक्ति सम्बन्धी कार्य** – राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति व्यवाहारिक तौर पर मंत्रिमंण्डल के परामर्श से की जाती है। मंडिमण्डल के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा संसद के दो सदनों के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
- **विधायी कार्य** – संसद में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही पेश किए जाते हैं तथा जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक उसके द्वारा प्रस्ताविक विधेयक अवश्य ही पारित हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वार अध्यादेश भी मंत्रिमण्डल के परामर्श स ही जारी किया जाता है।
- **वैदेशिक सम्बन्धों पर नियंत्रण** – विदेशी राज्यों के अध्यक्षों अथवा सरकारों की समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमण्डल के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। तथा वार्ता के परिणामस्वरूप हुए संधि या समझौतों के सम्बन्ध में संसद से स्वीकृति ले ली जाती है। वैदेशिक सम्बन्धों के संचालन में संसद की भूमिका काफी गौण होती है तथा कई बार सरकार द्वारा की गई गुप्त संधियों एवं समझौतों के सम्बन्ध में संसद को सूचना नहीं दी जाती।

मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर

मंत्रिपरिषद	मंत्रिमंडल
1. इसमें 60–70 मंत्री होते हैं इसलिए इसका आकार बड़ा होता है।	1. इसका आकर छोटा होता है जिसमें 15–20 मंत्री होते हैं।
2. इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री तीनों श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं।	2. इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद का भाग होता है।
3. इसमें सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए बैठकें नहीं होती। इसकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होती है।	3. इसकी बैठक सप्ताह में एक बार सरकारी कार्यों से संबंधित निर्णय लेने के लिए भी होती है। इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है।
4. इसे सिद्धांत सभो शक्तियां प्राप्त होती है।	4. यह मंत्रीपरिषद की शक्तिया का प्रयोग का मंत्रिपरिषद के लिए ही कार्य करती है। 5. यह नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देशित

5. इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाता है।	करती है। जिसका अनुपालन सभी मंत्रियों को करना होता है।
6. यह कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करती है।	6. यह अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयम मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाने या न किए जाने के तथ्य की निगरानी करती हैं।
7. संविधान के अनुच्छेद 74–75 में इसे संवैधानिक संस्था बताया गया है। संविधान में इसके आकार और वर्गीकरण का यद्यपित उल्लेख नहीं है। किंतु समय और स्थिति के अनुसार इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तीन स्तरीय संस्था के रूप में इसका वर्गीकरण ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इसको विधायी समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार वेतन और भत्ते से संबंधित अधिनियम 1952 में 'मंत्री' शब्द को 'मंत्रिपरिषद के सदस्य' के यप में परिभाषित किया गया है, भले ही इसे किसी नाम से पुकारा जाए। इसमें उपमंत्री का भी प्रावधान किया गया है।	7. इसे 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद –352 में शामिल किया गया था। इस प्रकार मूल संविधान में इसे स्थान नहीं मिला अनुच्छेद 352 में भी कैबिनेट की परिभाषा इस उल्लेख के साथ दी गई है कि यह प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसकी शक्तियों और कार्यों का उल्लेख नहीं है। राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में मंत्रिमंडल की भूमिका ब्रिटेन में विकसित संसदीय प्रणाली की सरकारी की परम्परा पर आधारित है।
8. इसकी सामूहिक जिम्मेदारी संसद के निचले प्रति है।	8. संसद के निचले सदन के प्रति यह सदन क मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती हैं।

प्रधानमंत्री व उप–प्रधानमंत्री

- भारत में संसदीय प्रणाली प्रभावी होने की वजह से संघीय शाक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है।
- अनुच्छेद 74 (1) के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन में सहयोग करने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह पर काम करने हेतु बाध्य है।
- अनुच्छेद 75 (1) के तहत मंत्रिपरिषद निर्माण के क्रम मे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की।
- अनुच्छेद 75 (2) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उतरदायी है। इसका अर्थ है– अगर किसी मंत्री के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाये तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जायेगा।
- मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही आ सकता है।
- प्रधानमंत्री क योग्यता के संबंध में केवल इतना वर्णित है कि वह लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो।
- प्रधानमंत्री बनते समय उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य अवश्यक होना चाहिए। अगर न हो तो 6 माह के अंदर उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है।
- अंविश्वास प्रस्ताव के दौरान अगर प्रधानमंत्री राज्य सभा से हो तो मतदान में भाग नहीं लेगा।
- सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 लोक सभा सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है।

❖ प्रधानमंत्री का कार्यकाल

1. सामान्यत : 5 वर्ष का होता है।
2. समय से पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकता है।
3. अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
4. राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त भी हो सकता है।

❖ **प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य हैः–**

1. मंत्रियों की नियुक्ति एवं निष्काषण में राष्ट्रपति को सलाह देना।
2. मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना।
3. मंत्रिमंडल के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना।
5. यह योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है।

❖ प्रधान मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से संपूर्ण मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है।

प्रधानमंत्री : महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जवाहर लाल नेहरू (16 वर्ष, 9 महीना, 13 दिन) तथा सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वायपेयी का (13 दिन) है।
- पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। दो अलग–अलग अवधि में प्रधानमंत्री बनने वाली भी यह पहली प्रधानमंत्री रही।
- लोकसभा का कभी न सामना करनेवाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है।
- अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जानेवाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है।
- नेहरू तथा शास्त्री की मृत्यु पर गुलजारी लाल नंदा कार्यवादक प्रधानमंत्री बने।
- P.V. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
- H.D. देवगौड़ा पधानमंत्री बनते समय कर्नाटक विधान सभा के सदस्य थे।

भारत का महान्यायवादी

- अनुच्छेद 76 – के अनुसार, सरकार को विधि संबंधी मामले पर परामर्श देने के लिये एक महान्यायवादी होगा।
- भारत का महान्यायवादी, सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- इसकी नियुक्ति राष्टपति करता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहता है।
- महान्यायवादी बनने के लिये वही योग्यता होनी चाहिये जो उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश बनने के लिये होती है।
- महान्यायवादी, अपने कत्वर्यपालन हेतु संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद, संसद के दोनों सदनों तथा संसदीस समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं करता।
- महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय की सुनवाई में भाग ले सकता है, परंतु वह भारत सरकार के विरूद्ध न हो।
- इनका कार्यकाल, मंत्रिपरिषद के बराबर होता है।
- महान्यायवादी की मदद के लिए 01 सॉलिसिटर जनरल और 04 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। किसी मामले मे आवश्यकता पड़ने पर अटॉर्नी जनरल को कानून मंत्रालय की ओर से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं।
- सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। वह विभिन्न मामलों में अदालत में केन्द्र सरकार का पक्ष रखता है। देश के पहले सॉलिसिटर जनरल सी. के. दफ्तरी थे।

भारत के महान्यायवादी

एम.सी.सीतलवाड	–	1950–1963
सी.के. दफ्तरी	–	1963–1968
निरेन दी	–	1968–1977
एस.वी. गुप्ते	–	1977–1979
एल. एन. सिन्हा	–	1979–1983
के. पराशरन	–	1983–1989
सोली. जे. सोराबाजी	–	1989–1990
जी. रामास्वामी	–	1990–1992
मिलन के. बनर्जी	–	1992–1996
अशोक के. बनर्जी	–	1996–1998
सोली. जे. सोराबाजी	–	1998–2004
मिलन के. बनर्जी	–	2004–2009
गुलाम ईसाजी वाहनवती	–	2009–2014
मुकुल रोहितगी	–	2014 –अब तक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भाग – 5 अनु० – 148–151

संघ तथा राज्य सरकारों के आय–व्यय के हिसाब–किताब तथा प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को सौंपा गया है।

संविधान के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात् सीएजी को कार्यपालिका से स्वतंत्र तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्वतंत्रता प्राप्त है। दरअसल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ही 'भारतीय लेखा परीक्षण (अंकेक्षण) विभाग' है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजानिक धन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व कर दाता के हितों को भी सुरक्षित रखता है। भारत को नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से धन के निर्गम पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता। इसके पदनाम से तो स्पष्ट होता है कि व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों का कार्यभार संभालना है किंतु अभी तक नियंत्रक एवं महालेखा लोक धन की प्राप्ति और उसके निर्गम का भी नियंत्रण करता है।

- इसे अंग्रेजी मे कैग (CAG) - Comptroller and Auditor General के नाम से भी जाना जाता है।
- अनुच्छेद 148–के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति इन्हें पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है।
- इस पद का प्रावधान पहली बार, भारत सरकार अधिनियम 1935 ई० के तहत महालेखा परीक्षक के नाम से किया गया था।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। परंतु कार्य काल पूरा होने से पहले वे 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें तो लेखाओं के लिये किये जाने वाले खर्च का परीक्षण/जाँच करना।
- इनका मुख्य कार्य है–प्रत्येक संघ या राज्य क्षेत्र की संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा सार्वजनिक लेखाओं के लिये किये जाने वाले खर्च का परीक्षण/जाँच करना।
- यह राष्ट्रीय वित (सार्वजनिक धन) का संरक्षक होता है।

- अनुच्छेद 150–के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण लेखों से तैयार रिर्पाट राष्ट्रपति को सौंपता तत्पश्चात राष्ट्रपति इसे सदन मे जमा करता है।
- अनुच्छेद 151–राज्य सरकार के लेखों से संबद्ध रिर्पोट राज्यपाल को सौंपता है। तत्पश्चात राज्यपाल विधनमंडल में जमा करता है।

कैग पद की स्वतंत्रता

भारतीय लेखा का महालेखा परीक्षा विभाग में सेवारत सदस्य की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति कैग की सलाह पर ही करता है।

- कैग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जाता है।
- कैग की नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं होता है।
- कैग पद मुक्ति के पश्चात् केन्द्र व राज्य के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं कर सकता है।
- कैग के वेतन, भत्ते व पेंशन संचित निधि पर भारित होते हैं।

कार्य एवं शक्तियां

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो संसद द्वारा सौंपी जाएं। अनुच्छेद – 149 से 151 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यो और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है–

- भारत की संचित निधि, राज्य क्षेत्रों के खर्चे की लेखापरीक्षा, केन्द्र व राज्य के लोक लेखा निधि तथा आकस्तिमक निधि की लेखापरीक्षा करता है।
- सरकारी कंपनियों और विभागों के लेखे के खर्चे की लेखापरीक्षा करता है।
- केन्द्र व राज्यों के समस्त लेन–देन की लेखापरीक्षा करता है।
- निगम और कंपनियों का केन्द्र एवं राज्य राजस्व से मिलने वाली वित्तीय मदद का लेखा परीक्षण करता है।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी ट्रिब्यूनल्स की लेखापरीक्षा करता है।
- राष्ट्रपति को उस प्रपत्र के निर्धारण के लिए सलाह देना जिसमें केन्द्र एवं राज्य के लेखा को दर्ज किया जाएगा।
- संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष राज्य के लेखाओं संबंधी पतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है।
- किसी भी प्रकार के कर या शुल्क से हुई निवल प्राप्ति को सुनिश्चित और प्रमाणित करता है।
- सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के संरक्षक, मित्र के रूप में कार्य करता है।
- राज्य के लिखा को संकलित कर उनका रख–रखाव करता है। (1976 के केन्द्र का नहीं)

कैग और निगम

- कुछ निगमों की लेखापरीक्षा पूर्णतः कैग के नियंत्रण में की जाती है, जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स, ओएनजीसी आदि।
- कुछ निगमों की लेखापरीक्षा नीजि लेखापरीक्षकों के द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति सीएजी के सलाह पर केन्द्र करता है। पूरक लेखापरीक्षा कैग द्वारा की जाती है, केन्द्र भंडारण निगम आदि।
- कुछ निगमों की लेखापरीक्षा पूर्णतः निजी लेखापरीक्षकों के द्वारा की जाती है।
- कैग की कोई भूमिका नहीं होती है, एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई।
- लेखापरीक्षा बोर्ड 1968 में विशष उद्योग के तकनीकी पहलू हेतु गठित किया गया था। यह कैग का एक भाग है। इसके अध्यक्ष व 2 सदस्यों व 2 सदस्यों की नियुक्ति कैग करता है।

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक	
नाम	**कार्यकाल**
वी. नरहरि राव	1948–1954
ए. के. चंदा	1954–1960
ए. के. राय	1960–1966
एस. रंगानाथन	1996–1972
ए. बक्शी	1972–1978
ज्ञान प्रकाश	1978–1984
टी. एन. चतुर्वेदी	1984–1990
सी. जी. सौम्या	1990–1996
वी. के. शुंगलू	1996–2002
वी. एन. कौल	2002–2008
विनोद राय	2008–2013
शशिकांत शर्मा	2013 से अब तक

SPECLAL FACTS : NCERT BOOKS

- डॉ० अम्बेदकर क शब्दों में – ''हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक हैं उसका शासन में वह स्थान है कि उसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय घोषित किए जाते हैं।'
- प्रो० केटी शाह ने कहा, 'शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री अथवा प्रधान हो सकता है, परंतु लोगों को ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है जिसमें समूचे राष्ट्र की सर्वसत्ता सन्निहित हो।
- अनुच्छेद 74 (1) '' राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा।''
- सामान्यतः राष्ट्रपति के निर्वाचन के दूसरे चक्र की मतगणना की नौबत नहीं आती है, किंतु यह परंपरा वी. वी. गिरि के चुनाव में टूटी। उनके चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना भी हुई।
- 1961 में 11वाँ संवैधनिक संशोधन द्वारा यह निर्धारण किया गया है कि यदि किसी भी राज्य की विधान सभा भंग हो तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 (3) के अनुसार संसद को राष्ट्रपति निर्वाचन–संबंधी नियम बनाने का अधिकार है।
- प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिपरिषद् नहीं होती क्योंकि यह सरकार की अगुवाई करता है।
- भारत में स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही है। मंत्रियों के निर्णयों को यह लागू करता है।
- राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है।
- बिलियम हारकोर्ट ने बहुत पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में कहा था कि ''प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है।''
- संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर ने बताया था ''अध्यक्षात्मक शासन पद्धति की अपेक्षा संसदीय पद्धति अपनाकर भारतम सामाजिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा दैनिक उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है।
- मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (E.V.M.) का इस्तेमाल पहली बार संपूर्ण भारत में 2004 में किया गया।

राज्य कार्यपालिका

राज्यपाल

भाग – 4 अनुच्छेद –152–167

- संघ की भांति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है, अतः यहाँ भी कार्यपालिका शाक्ति राज्यापाल में निहित है, परंतु नाममात्र का। इसका वास्ताविक प्रयोग मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ करती है।
- राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चना जाता है और न ही यह राष्ट्रपति की तरह परोक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली को अपनाने के पीछे निम्न तर्क दिये जाते हैः

1. राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है।
2. सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है।
3. राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है।
4. राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से वयक्तिक मामला है इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है।
5. एक निर्वाचित राज्यापाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बना पाएगा।
6. राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी।
7. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्य पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा।
8. राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है।
9. मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा।

राज्यपाल के लिए अर्हता/योग्यता

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. परम्परा एवं सिफारिशों के अनुसार उसे राज्य से बाहर का होना चाहिए।
4. राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे (लेकिन यह अनिवार्य नहीं है)। परंपरा का हिस्सा है।

राज्यपाल : सामान्य जानकारी

- अनुच्छेद 153–के तहत प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल होगा।
- अनुच्छेद 154 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
- अनुच्छेद 155–राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। एक संशोधन (1956 ई०) के तहत एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति हो सकता है।
- अनुच्छेद 156– राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिये होगी, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर बना रहेगा।
- अनुच्छेद–157 राज्यपाल चुने जाने की योग्यता निम्न है।–

  1. भारतीय हो
  2. न्यूनतम आयू 35 वर्ष पूरी की हो
  3. केन्द्र या राज्य के अधिन लाभ के पद पर न हो।
  4. विधान सभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।

- अनुच्छेद–159 राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीय या वरिष्टम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।

❖ **राज्यपाल का वेतन**

- 2008 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1.10 लाख प्रतिमाह कर दिया है।
- लेकिन अगर एक ही राज्यपाल दो राज्यों के राज्यपाल की भूमिका में हो तो उसे उसी अनुपात में वेतन दिया जाता है, जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करें।

राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ एवं कार्य

1. जिस तरह संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।

- राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की।
- समस्त मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है।
- राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है जैसे –महा अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त इत्यादि।
- यह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और इस नाते सभी विश्वविद्यालयों उप–कुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाये तो, राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश करता है
- राष्ट्रपति शासन के दौरान इसकी भूमि केन्द्र के एजेंट रूप में होती है तथा समस्त प्रशासन का दायित्व इसी पर होता है।

2. राज्यपाल की विधायी शाक्ति

- इसके तहत राज्यपाल राज्य विधानपलिका के सदनों की बैठक आहूत करता है, उसका सत्रवसान करता है तथा विधान सभा भंग कर सकता है।
- वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है।
- वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है।
- जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
- यह राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, दर्शन विज्ञान, सहकारिता क्षेत्र का ख्यातिलब्ध व्यक्ति होता है।
- अगर उसके विचार से राज्य विधान सभा में एग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, तो एक एंग्लो–इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है।
- विधानसभा सदस्य की निरर्हता के मद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करता है।
- राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग है। विधानमंडल से पारित विधेयक पर इसकी हस्ताक्षर आवश्यक है।
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने परः

क. वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, या
ख. स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, या
ग. विधेयक को (यदि यह धन–संबंधी विधेयक न हो) विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है, या
घ. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है, जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियों हों तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है।

1. संविधान के उपबंधों के विरूद्ध हो।
2. राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के विरूद्ध हो।
3. देश के व्यापक हित के विरूद्ध हो।
4. राष्ट्रीय महत्व का हो।
5. संविधान के अनुच्छेद 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।

- राज्य विधायिका के सत्र में न रहने का अवस्था में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी पृष्टि सत्र के प्रांरभ होने के छः सप्ताह के भीतर राज्य विधायिका द्वारा होनी जरूरी है।
- वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है।

3. राज्यपाल के वित्तीय अधिकार

- राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य का वार्षिक वजट विधायिका में प्रस्तुत करवाता है।
- धन विधेयक राज्यपाल से अनुमति लेकर ही विधान सभा में प्रस्तावित होता है।
- वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है।
- पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर पांच वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है।
- राज्यपाल की अनुशंसा के बिना कोई भी अनुदान विधेयक विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता।

4. राज्यपाल की न्यायिक शक्ति

- इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट के न्यायधीश की नियुक्ति से पहले, राज्यपाल से सलाह लेना आवश्यक है।
- राज्यपाल, जिला तथा सत्र न्यायालय के न्यायधिशों की नियुक्ति स्थानान्तरण एवं प्रोन्नती करता है।
- वह राज्य के कानूनों के अंतर्तत दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, उसकी सजा बदल सकता है या कम कर सकता है।
- नोटः– परंतु यह मुत्युदंड को माफ नहीं कर सकता।
- वह कई महत्वपूर्ण रिर्पोट को विधायिका के समक्ष रखता है जैसे – नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिर्पोट, राज्यलोक सेवा आयोग की रिर्पोट इत्यादि।

5. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

- राज्यपाल के पाप स्वविवेक की शक्ति है, जिसका उपयोग वह निम्न रूप में करता है–

1. विधान सभा चुनाव में किसी दल को बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय।

2. राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक नियमों के अनुरूप न चले, तो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है।
3. राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना।
4. पड़ोसी केंद्रशासित राज्य में (अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में) बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय।
5. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्पखनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण।

6. राज्य के विशेष कार्य

कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है ये इस प्रकार हैं–

1. महाराष्ट्र – विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना।
2. गुजरात – सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना।
3. नागालैंड – त्वेनसांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघ्नों के चलते कानून एवं व्यवस्था के संबंध मे।
4. असम – जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था।
5. मणिपुर–राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था।
6. सिक्किम–राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना।
7. अरूणाचल प्रदेश – राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना।
8. कर्नाटक–हैदराबाद–कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना।

राज्यपाल के विशेषाधिकार

- वह अपने शक्ति का प्रयोग तथा कत्वर्यपालन हेतु किसी न्यायालय के प्रति उतरदायी नहीं होता।
- इसके कार्यकाल के दौरान इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपराधिक कारवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है।
- इनके कार्यकाल के दौरान कोई न्यायालय, गिरफ्तारी का आदेश नहीं जारी कर सकता।

राज्यमंत्री परिषद्

भारत में केन्द्र की भांति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है अतः राज्यमंत्री परिषद का स्वरूप प्रकृति एवं विशेषाधिकार, उत्तरदायित्व केन्द्रीय मंत्री परिषद के ही समान है। इससे जुड़ै अन्य विशिष्ट तथ्य निम्न है–

1. छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय विकास के लिए पृथक कल्याण मंत्रि का पद होगा।
2. जिन राज्यों में छोटी विधानसभा है वहां मंत्रिपरिषद् का आकार 12 सदस्यीय हो सकता है भलेही वह 15 प्रतिशत से कम हो।

मंत्री परिषद् से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद	
163	मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना।
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान
166	राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन
167	मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य

मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- मुख्यमंत्री नियुक्ति हेतु आवश्यक है कि वह विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है।

- मुख्यमंत्री ही व्यवहारिक तौर पर राज्य कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग करता है।
- राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होता है।
- राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की यह अध्यक्षता करता है।
- मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा करता है।
- मंत्रिपरिषद के सभी निणर्यों से राज्यपाल को अवगत कराता है।
- विधान सभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे भंग करने की सलाह राज्यपाल को देता है।
- सभी मंत्रियों के बीच सम्न्यव स्थापित करता है।
- मंत्रिपरिषद के सदस्य को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, अगर न हो तो 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है।

महा अधिवक्ता (Advocate General for state)

- संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता धारण करता हो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।
- महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार उसे राज्य विधानमण्डल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु मतदान का अधिकार नहीं है।
- वह राज्य सरकार के विधि सम्बन्धी ऐसे विषयों पर सलाह देता है तथा विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है, जो समय–समय पर राज्यपाल द्वारा उसे निर्देशित किए जाते हैं अथवा सौंपे जाते है।
- महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जो राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाए।

❖ राज्य वित्त आयोग हर पाँच साल के बाद राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों का अर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा।

SPECIAL FACTS : NCERT BOOKS

- देश में राज्यपाल/उपराज्यपालों की संख्या – 31 (कुछ के पास अतिरिक्त कार्यभार है)
- केन्द्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल/प्रशासक की नियुक्ति केन्द्र सरकार करता हैं।
- राज्यपालों को कार्यकारी, विधायी और विवेकाधीन शक्तियां होती है।
- कामकाज के हिसाब से राज्यपाल और उपराज्यपाल के कार्य लगभग समान है।
- राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है क्योकि –
  1. संसदीय व्यवस्था के अनुरूप
  2. सामान्य निर्वाचन के दौरान नेतृत्व की समस्या से बचने हेतु।
  3. दलबंदी से ऊपर रखने के लिए।
  4. राज्यपाल की प्रतिष्ठा तथा सम्मान की दृष्टि से।
  5. शक्तिशाली केन्द्र के लिए।
  6. धन तथा समय के अपव्यय को ध्यान में रखते हुए।

- 'मंत्रालय' शब्द केन्द्र के लिए प्रयोग होता है न कि राज्यों के लिए। दूसरे शब्दों, राज्य सरकार विभागों में बंटा होता है न कि मंत्रालयों में।
- मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में इसकी न्यूनतम सीमा 12 निर्धारित की गई है।
- राज्य केबिनेट मंत्रिपरिषद् का छोटा भाई है तथा यह ही वास्तविक कार्यकारिणी का केन्द्र होता है। इसकी मुख्य भूमिका निम्न है।

  1. यह राज्य की राजनीतिक – प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी हैं।

2. यह राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है।
3. यह राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है।
4. यह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है।

- **राष्ट्रीय सरकार** : जब किसी विधायिका के विभिन्न राजनीतिक दल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकार का गठन करते हैं, जब उसे राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। राष्ट्रीय सरकार में राजनीतिक दलों के बाहर के भी वैसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान किया है।

संघीय विधायिका

- अनुच्छेद 79 – के तहत संघीय विधायिका का निर्माण संसद तथा राष्ट्रपति से मिलकर होगा। संसद लोक सभा एवं राज्य सभा से मिलकर बनेगी।

राज्य सभा

- यह राज्यों की सभा है। इसे उच्च सदन/द्वितीय सदन, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है।
- राज्य सभा की पहली बार गठन 03 अप्रैल 1952 को हुआ।
- राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वष्र है। स्थायी सदन होने के कारण यह कभी विघटित नहीं होता।
- यह एक स्थायी सदन है, जिसके प्रत्येक एक तिहाई सदस्य दो वर्ष पश्चात रिटायर्ड हो जाते हैं।
- अनुच्छेद 80– के अनुसार राज्य सभा गठन 250 सदस्यों द्वारा होगी। जिसमें 238 विभिन्न राज्यों से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होगें।
- वर्तमान में यह 245 सदस्यों वाली है जिसमें 28 राज्यों से 229 केन्द्र शासित प्रदेशों से 4 तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है।
- राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।
- राज्य सभा का चुनाव लड़ने हेतु विधान सभा के 10 सदस्यों का प्रस्तावक होना जरूरी है।
- राज्य सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर आवंटित है। इसके तहत प्रत्येक 50 लाख पर एक और फिर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व मिलता है। वर्तमान में यह 1971 ई० की जनगणना पर आधारित है।
- राज्यसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता निम्न है।
  1. भारतीय हो
  2. न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो
  3. केन्द्र/राज्य के अधीन लाभ के पद पर न हो।
  4. वैसी अन्य योग्यता धारित करें जो संसद निर्धारित करें।

- संसद के दोनों सदस्यों से चुने जाने की अवस्था में या किसी अन्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त होने की अवस्था में उसे स्वेच्छा से किसी एक स्थान को छोड़ना जरूरी है। अन्यथा 10 दिन के अंदर उसकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
- अगर सदस्य सदन के बगैर अनुमति के संसद के सभी अधिवेशनों से 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
- राज्य सभा सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपते हैं।

- राज्य सभा का संचालन भारत का उपराष्ट्रपति, सभापति के हैसियत से करता ह। साथ ही राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उप–सभापति का चुनाव करती है।
- उप–सभापति को राज्यसभा 14 दिन की पूर्व सूचना पर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पदमुक्त भी कर सकती है।
- राज्य सभा का सत्र वर्ष में कम से कम दो बार अवश्यक होना चाहिये तथा दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः तीन सत्र वर्ष में आयोजित होते हैं।
  1. बजट सत्र – फरवरी से मार्च
  2. मौनसून सत्र – जुलाई से सितंबर
  3. शीतकालीन सत्र – नवंबर से दिसंबर
- राज्य सभा की गणपूति 25 है।
- नोट :– गणपूर्ति किसी सदन के समस्त सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होते है जो सदन की कार्यवाही आरंभ होने हेतू जरूरी है।

राज्य सभा में सदस्यों की संख्या			
राज्य	**सदस्य संख्या**	**राज्य**	**सदस्य संख्या**
उत्तर प्रदेश	31	हरियाणा	5
महाराष्ट्र	19	जम्मू कश्मीर	4
आंध प्रदेश	18	हिमाचल प्रदेश	3
तमिलनाडू	18	उत्तराखण्ड	3
बिहार	16	नागालैंड	1
पश्चिम बंगाल	16	मिजोरम	1
कर्नाटक	12	मेघालय	1
मध्य प्रदेश	11	मणिपुर	1
गुजरात	11	त्रिपुरा	1
उड़ीसा	10	सिक्किम	1
राजस्थान	10	अरूणाचल प्रदेश	1
केरल	9	गोवा	1
पंजाब	7	**संघीय प्रदेश**	
असम	7	दिल्ली	3
झारखंड	6	पुदुचेरी	1
छत्तीसगढ़	5		

- नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्कम, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा–एक–एक सदस्य आते हैं।
- केन्द्र शासित प्रदेश से 4 प्रतिनिधि आते हैं। जिसमें दिल्ली से 3 एवं पाण्डिचेरी से 1 प्रतिनिधि होता है।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ से कोई सदस्य नहीं शामिल है।

राज्य सभा के मुख्य कार्य

1. **साधारण विधयेक के संदर्भ में** :– किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित हो, राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है, पंरतु दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अविधवेशन लाता है। जिसमें लोकसभा का पलड़ा भारी होता है।
2. **संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में** :– पहले किसी भी सदन में प्रस्तावित हो, परंतु राज्य सभा के दो–तिहाई बहुमत से मंजूरी के बिना नही लागू हो सकता।
3. **धन विधेयक के संदर्भ में** :– राज्य सभा एक कमजोर सदन है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को मात्र 14 दिन रोक सकती है, तत्पश्चात यह स्वतः पारित समझा जायेगा।
4. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही पेश होता है।

5. आपातकाल लागू करते समय लोकसभा भंग हो, तो राज्सभा का अनुमोदन ही पर्याप्त होता है।

राज्य सभा का विशेषाधिकार

- अनुच्छेद 249 – के तहत राज्य सभा अगर किसी राज्य सूची के विषय को अपने 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो संसद उस पर कानून बना सकती है।
- नोट :– राज्य सभा ने दो बार इसका प्रयोग किया।
  1. 1952 – व्यापार, वितरण, प्रबंधन हेतू
  2. 1986 – अंतराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा हेतू
- अनुच्छेद 312 – के तहत राज्य सभा अपने 2/3 बहुमत से एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
- **नोट :– इसका भी दो बार प्रयोग किया है**
  1. 1961 ई० :– भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा।
  2. 1965 ई० :– भारतीय कृषि, भारतीय शिक्षा सेवा।

लोक –सभा

- यह भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है।
- अनुच्छेद 81– के तहत इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। जिसमें प्रांतों से 530 केन्द्र शासित प्रदेश से 20 तथा 2 मनोनीत होंगे।
- वर्तमान में यह 545 सदस्यी है, जिसमें प्रांतों से 530, केन्द्र शासित प्रदेश से 13 तथा 2 मनोनीत सदस्य है। [530+13+2=545]
- अनुच्छेद 330– के तहत लोक सभा में अनुसूचित जाति हेतु 79 तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 41 सदस्य संख्या आरक्षित है।
- अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लों इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेगा।
- लोकसभा ने न्यूनतम 5 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
- सदस्यों का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है।
- आरंभ में व्यस्क होने की उम्र 21 वर्ष थी परंतु 61 वें सविधान संशोधन के द्वारा 1989 ई० में राजीव गांधी की सरकार ने 18 वर्ष कर दी।

लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतू योग्यता

- (1) भारतीय हो (2) न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो (3) भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो (4) ऐसी योग्यता रखता हो जो समय–समय पर संसद निर्धारित करे।
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकते है।
- 60 दिन तक संसद के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहने पर तथा दल–बदल कानून के आधार पर संसद सदस्य पदमुक्त भी किये जा सकते है।
- वर्ष में लोकसभा का सत्र दो बार अवश्यक आयोजित होना चाहिये तथा इसके बीच छः माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

- **सामान्यतः वर्ष में तीन सत्र आयोजि होती हैः–**
  1. बजट सत्र – फरवरी – मार्च
  2. मौनसून सत्र – जुलाई – सितम्बर
  3. शीतकालीन सत्र – नवम्बर – दिसम्बर
- संघीय क्षेत्र से 13 प्रतिनिधि चुने जाते है।

- चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादर–नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप से एक–एक सदस्य चुने जाते हैं, जबकि दिल्ली से 7 सदस्य आते है।
- **लोक सभा की गणपूर्ति 55 है।**
- लोक सभा अपने सदसयों में से अनुच्छेद 93–के तहत एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।

लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष–अनुच्छेद 93

- लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य की तरह शपथ लेता है।
- लोकसभा अध्यक्ष, अगले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पूर्ण होने तक पद पर बना रहता है।
- लोकसभा अध्यक्ष, की अनुपस्थिति में सदन का संचालन उपाध्यक्ष करता है, अगर उपाध्यक्ष भी न रहे तो राष्ट्रपति द्वारा तैयार सभापति–तालिका (इसमें 6 सदस्य होते हैं) में से कोई एक व्यक्ति करेगा।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपता है।
- लोकसभा अपने सामान्य बहुमत से 14 दिन पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष को पद मुक्त भी कर सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य

- अनुच्छेद 122–के अनुसार सदन चलाने की प्रक्रिया में 37 वह न्यायालय के हस्तक्षेप से मुक्त होगा।
- यह सदन का संचालन, स्थगन या निलंबन करता है।
- मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है।
- संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।
- सदस्यों को अनुमति मांगने पर उन्हें हिन्दी, अंग्रेजी या मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम होता है।
- दर्शकों के प्रवेश पर नियंत्रन या रोक लगाता है।
- लोक सभा से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता हैं।
- दल विभाजन की स्थिति में विभाजित दल को मान्यता देता है।
- संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है।

लोकसभा के कार्य

- समस्त विधेयक को लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- यह राज्य सभा के ताकतवर सदन है क्योंकि:–
  1. संयुक्त अधिवेशन में लोक सभा ज्यादा प्रभावी होती है।
  2. धन विधेयक पर लोक सभा का निर्णय अंतिम होता है।
- संसदीय समितियों के गठन में भाग लेता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य सभा की पहली महिला महासचिव भी.एस. रमादेवी थी
- लोकसभा का गठन 6 मई 1952 ई० को हुआ।
- लोक सभा के पहले उपाध्यक्ष–अनंत शयनम आयंगर थे।
- लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी. भी. मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है।
- लोकसभा सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है।
- संसदीय प्रणाली में शून्य काल भारत की देन है।
- तीसरी आम चुनाव 1962 ई० में पहली बार बैलेट पेपर तथा अमिट स्याही का प्रयोग हुआ।
- लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतू 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
- अब तक समय से पहले लोक सभा 8 बार भंग हो चुकी है।
- नागौर लोक सभा सीट सर्वाधिक 9 निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ी है।

लोकसभा एवं राज्य सभा में अंतर	
राज्य सभा	**लोक सभा**
1. राज्य सभा संवैधानिक आधार अनु. 80 में निहित है।	1. लोक सभा के गठन का संवैधानिक आधार अनु. 81 में निहित है।
2. राज्य सभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होता है जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। जो साहित्य, कला, समाजसेवा में समबद्ध हो। वर्तमान में यह संख्या 244 है। 11 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनित एवं 1 सीट रिक्त है।	2. लोक सभा का गठन अधिकतम 552 सदस्यों के द्वारा हो सकता है। वर्तमान में यह संख्या 545 है। 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लों इंडियन सदस्य शामिल है।
3. सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।	3. सदस्यों का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष तरीके से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में होता है।
4. उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।	4. लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पर होता है। ह
5. राज्य सभा सदस्य बनने की न्यूनतम सीमा 30 वर्ष है।	5. लोक सभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
6. राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत से समर्थन राज्य सभी करती है।	6. राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार लोकसभा को नहीं प्राप्त है।
7. राज्य सभा को अखिल भारतीय सेंवाओं के सृजन की विशेष शक्ति प्राप्त है।	7. लोकसभा को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं।
8. धन विधेयक के संदर्भ मे राज्य को सिफारिश करने का अधिकार है। 14 दिन का समय मिलता है।	8. धन विधेयक के संदर्भ में लोक सभा के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है यह विधेयक के नामकरण से लेकर संशोधन तक सम्पूर्ण दायित्व का निर्वाहन करती है।
9. राज्य सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है जिनमें ये 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर पद मुक्त होते हैं। राज्य सभा कभी भंग नहीं होती।	9. लोकसभा कार्य काल 5 वर्ष को होता है। लोकसभा भंग की जा सकती है। आपात स्थिति समाप्त होने के बाद 06 महीने अधिक समय तक नहीं हो सकती।

राज्य विधायिका

- अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन राज्य पाल तथा विधानमंडल से मिलकर होता है।
- विधानमंडल अधिकांश राज्यों के एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय है।
- वर्तमान में छः राज्यों में द्विसदनीय विधान सभा तथा विधान परिषद व्यवस्था प्रचलित है। ये राज्य हैं – उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर।
- नोटः वर्ष 2007 ई० से आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद् का गठन किया है। यह 6 वाँ राज्य है जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा।
- नोटः तमिलनाडु सातवाँ राज्य है जहाँ विधान परिषद् प्रस्तावित है।
- अनुच्छेद 169–के अनुसार यदि किसी राज्य की विधान सभा दो तिहाई बहुमत से विधान परिषद के गठन या विघटन के आशय का प्रस्ताव पास कर संसद के पास भेजे तो, संसद विधान परिषद का गठन या विघटन करेगी।

विधान परिषद्

- यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है।
- विधान परिषद को कुल सदस्य संख्या, उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 हिस्से से ज्यादा नहीं हो सकती साथ ही यह 40 से कम भी नहीं हो सकती।

- नोट : इसका अपवाद जम्मू–कश्मीर की विधान परिषद् है, जहां विधान परिषद में मात्र 36 सदस्य है।
- विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं।
- विधान परिषद के गठन में :–
  1. 1/3 सदस्य, राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।
  2. 1/3 सदस्य, स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि) द्वारा निर्वाचित होते है।
  3. 1/12 सदस्य, वैसे स्नातकों से निर्वाचित होते हैं जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री हासिल की हो।
  4. 1/12 सदस्य वैसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते है, जिन्हें हायर सेकण्डरी या उच्च शिक्षण संस्थान में तीन वर्ष शिक्षण देने का अनुभव हो।
  5. 1/6 सदस्य, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, सहकारिता, समाजसेवा के क्षेत्र मे दक्ष व्यक्ति होते है।

विभिन्न राज्यों की विधानपरिषदों की सदस्य संख्या				
राज्य	**कुल सदस्य संख्या**	**राज्य**	**कुल सदस्य संख्या**	
बिहार	75	कर्नाटक	75	
उत्तर प्रदेश	99	महाराष्ट्र	78	
आंध्र प्रदेश	90	जम्मू–कश्मीर	36	

- **विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने हेतू योग्यता :**
  1. भारतीय हो
  2. न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो।
  3. राज्य/भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो।

- विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जिसके प्रत्येक दो वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं।
- विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है।
- विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति तथा एक उप–सभापति का चयन करती है।
- सभापति तथा उपसभापति के वेतन और भते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है।
- **शक्ति एवं कार्य की दृष्टि से विधान परिषद एक शक्तिहीन सदन है। क्योंकि यह–**
  1. साधारण विधेयक को केवल चार माह विलम्ब करा सकती है, कानून बनने से नहीं रोक सकती है।
  2. इस सदन को मंत्रिपरिषद को पदमुक्त करने का अधिकार नहीं है, यह केवल प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद–विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को निंयत्रित करने का प्रयास करती है।
  3. धन/वित विधेयक को यह केवल 14 दिन तक रोक सकती है। वरना यह विधेयक इस सदन से स्वतः पारित समझा जायेगा।
- विधान परिषद की गणपूर्ति न्यूनतम 10 या कुल विधान परिषद सदस्य संख्या का 1/10 वां भाग होगा।

विधान सभा

- यह राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन अथवा निम्न सदन है।
- अनुच्छेद 170–के तहत राज्य के विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होगी।

नोट :– इस नियम के अपवाद भी है। जैसे–अरूणाचल प्रदेश (40), गोवा (40), मिजोरम (40), सिक्कम (32)।

- राज्यों की विधान सभा में कुछ सीट अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षित है। 79 संविधान संशोधन के तहत यह 25 जनवरी 2010 ई० तक लागू रहेगी।
- विधानसभा सदस्यों का चुनाव व्यस्क मताधिकार प्रणाली के तहत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है।

➢ **विधान सभा सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता :–**

1. भारतीय हो, 2. न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, 3.राज्य/भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो।

➢ कोई व्यक्ति एक ही साथ दोनों विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता। उसे एक स्थान रिक्त करना पड़त है।

➢ कोई सदस्य 60 दिन तक सदन की आज्ञा के बिना, सदन की बैठक से अनुपस्थित रहे तो सदन में उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

➢ सामान्यतः विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। परंतु राज्यपाल इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है।

➢ विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है।

➢ विधान सभा अध्यक्ष को विधानसभा में वहीं अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को।

➢ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं।

➢ विधान सभा 14 दिन के पूर्व सूचना देकर बहुत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा भी सकती है।

विधानसभा की सदस्य संख्या			
राज्य	**विधानसभा**	**राज्य**	**विधानसभा**
अरूणाचल प्रदेश	40	असम	126
आंध प्रदेश	294	उड़ीसा	147
उत्तर प्रदेश	403	उत्तराखण्ड	70
कर्नाटक	224	केरल	140
गुजरात	182	गोवा	40
छत्तीसगढ़	90	जम्मू कश्मीर	76
झारखंड	81	तमिलानाडू	234
नागालैंड	60	पंजाब	117
पश्चिम बंगाल	294	बिहार	243
मणिपुर	60	मध्य प्रदेश	230
महाराष्ट्र	288	मिजोरम	40
मेघालय	60	राजस्थान	200
सिक्किम	32	हरियाणा	90
हिमाचल प्रदेश	68	त्रिपुरा	60
❖ **संघीय प्रदेश**			
क. दिल्ली	70	ख. पुदुचेरी	30

1. **विधायी शक्ति** – विधानसभा का मुख्य कार्य राज्य के लिये कानून बनाना है। यह राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। परंतु समवर्ती सूची पर बना कानून संसद के द्वारा निर्मित कानून के प्रतिकूल हो जायें तो ऐसी स्थिति में विधानसभा द्वारा पारित कानून अवैध हो जायेगी।

➢ धन विधेयक पहले विधानसभा में ही पेश हो सकता है।

2. **वितीय शक्ति** – विधानसभा का राज्य के वित पर पूर्ण नियंत्रण होता है। आय–व्यय का वार्षिक बजट को स्वीकृति यही देती है।
3. **प्रशासनिक शक्ति** – राज्यों में संसदीय प्रणाली लागू होने के कारण, राज्य का मंत्रिमंडल विधि निर्माण कार्य हेतू विशेष रूप से विधान सभा के प्रति उतरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. संविधान के कुछ भाग में संशोधन हेतु विधानसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुमति देता है।
5. राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है।

प्रोटेम स्पीकर

- प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहा जाता है, जो चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का संचालन करते है।
- कामचलाऊ और अस्थायी अध्यक्ष ही प्रोटेम स्पीकर हैं। लोकसभा अथवा विधानसभाओं में इनका चुनाव कम समय के लिए होता है।
- सामान्यतः सदन के वरिष्ठतमय सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपी जातीहै।
- लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थायी तौर पर वे सदन के संचालन से संबधित दायित्वों का निर्वहन करते है।
- प्रोटेम स्पीकर तब तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक सदस्य स्थायी अध्यक्ष का चुनाव न कर लें। हालांकि लोकसभा अथवा विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता तब भी पड़ती है, जब सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा वे अपने–अपने पदों से त्यागपत्र दे दें।
- संविधान में, हालांकि प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निर्धारण है कि उनके पास स्थायी, अध्यक्ष की भांति शाक्तियां नहीं होती है।

महत्वपूर्ण तथ्य : राज्य विधायिका

- भारत की सबसे बड़ी विधान सभा उत्तरप्रदेश की है (403)। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश (294), महाराष्ट्र (288), बिहार (243) है।
- केन्द्र शासित प्रदेश में केवल दो जगह विधान सभा हैं एक – दिल्ली (70), दूसरा पांडिचेरी (30)।
- अनुच्छेद 170 (3)– के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद विधान सभा की सदस्य संख्या पुनः निश्चित होगी। परंतु 91 वें संविधान संशोधन 2001 ई० के तहत अब यह 2026 ई० तक यथावत रहेगी।

ग्राम पंचायत

प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। पत्येक पंचायत को उनकी पहली बैठक की तारीख 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। पंचायत को विधि के अनुसार इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत अपने कार्यकाल यानी 5 वर्ष से 6 माह पूर्व विघटित कर दी जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होता है। नई गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक को बुला सकता है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्तक्षर क लिखित रूप से बैइक बुलाने की मांग करते हैं तो प्रधान को 15 दिनों के अंदर बैठक आयोजित करनी होगी। यदि बैठक को प्रधान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है तो निर्धारित अधिकारी, सहायक अधिकारी या पंचायत बैठक बुला सकता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुद सदस्यों की संख्या 1/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) के लिए आवश्यक होती है। यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं होती है तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकी है। इसके लिए गणपूर्ति की आवश्कता नहीं होती है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान करता हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति में प्रधान द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करता है। यदि प्रधान ने किसी सदस्य के मनोनीति नहीं किया है तो बैठक में उपस्थिति सदस्य बैठक में उपस्थिति सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य का चुनाव कर सकता है।

ग्राम पंचायतों का निर्वाचन : सभी स्तर के पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष किया जाता है। यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराये जाते है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद

हेतु चुनाव लडक्ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है तथा ऐसा व्यक्ति सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वह किसी भी प्रकार की सेवा से दुराचार के कारण पदच्युत न किया गया हो तथा वह पंचायत सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोषी न हो। जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचन का अधिकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित राज्य निर्वाचन आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित राज्य निर्वाचन आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत प्रत्येक आयोग से स्वतंत्र है।

अध्यक्ष का निर्वाचन : ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जबकि मध्यवर्ती (खण्ड) एवं जिला स्तर पर अध्यक्षें का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधारित पर किया जाता है। इन स्तरों पर निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इन स्तरों पर निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप–प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप–प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियम अधिकारी किसी सदस्य को उप–प्रधान नामित कर सकता है।

ग्राम प्रधान की पदमुक्तिः ग्राम प्रधान एवं उप–प्रधान को 5 वर्ष के उसके निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। प्रधान या उप–प्रधान को असमय पदमुक्त करने के लिए पदमुक्त सम्बन्धी अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जाएगी। इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा एक लिखित सूचना जिला कारणों का उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में से तीन सदस्यों को जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा तथा बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप–प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है।

प्रधान एवं उप–प्रधान को असमय पदमुक्त करने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के एक वर्ष के भीतर नहीं बुलायी जा सकती। यदि अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं हो पाती है अथवा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाता है तो उसी प्रधान/उप–प्रधान को हटाने के लिए दोबारा बैठक एक वर्ष तक नहीं बुलायी जा सकतीहै। प्रधान को असमय हटाये जाने पर उसका कार्यभार उप–प्रधान को तथा उप–प्रधान को हटाने जाने पर प्रधान को सौंपा जा सकता है। यदि एक ही समय में दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो इस दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी सदस्य को प्रधान का कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत के काय : विभिन्न राज्यों में ग्राम सभा के निम्न कार्य प्रमुख रूप से निर्धारित किए गए हैः

- ग्रामीण विकास से संबंधित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- ग्राम पंचायत के सालाना लेखा–जोखा के बारे में चर्चा करना।
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर गहन विचार–विमर्श करना।
- ग्राम पंचायत ने पिछले वर्ष क्या विकास कार्य किया है और ग्रामीण विकास संबंधी कार्यो पर विचार करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा आगामी प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों पर विचार करना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लाभान्वित होने वालों की पहचान करना।
- ग्रामीण शिक्षा, परिवार कल्याण, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों इत्यादि में सहयोग देना।
- ग्रामीण समाज में भाईचारा, एकता और सौहार्द्र बढ़ाना।
- सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप, सरकारी विकास कार्यक्रमों, आय और के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गांवों की जरूरत के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करना।
- ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाना।
- ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों की देख–रेख, जांच पड़ताल के लिए ग्राम सभा को ही निगरानी समिति के गठन का अधिकार है। ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होगा निगरानी समिति का प्रतिवेदन ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगइी।

- कृषि सम्बन्धी कार्य,
- ग्राम्य विकास संबंधी कार्य,
- प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य,
- युवा कल्याण सम्बन्धी कार्य,
- राजकीय नलकूपों की मरम्मत एवं रख–रखाव,
- हैडपम्पों की मरम्मत एवं रख–रखाव,
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य,
- महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी कार्य,
- पशुधन विकास सम्बन्धी कार्य,
- समस्त प्रकार के पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण कार्य,
- समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य,
- राशन की दुकान का आवंटन व निरस्त्रीकरण,
- पंचायती राज संबंधी ग्राम्य स्तरीय कार्य आदि।

<u>11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को प्रदत्त विषय</u>

1. कृषि एवं कृषि विस्तार
2. भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मुर्गीपालन।
5. मतस्य उद्योग।
6. वनजीवन तथा कृषि खेती (वनों में)।
7. लद्यु व उत्पत्ति।
8. लद्यु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है।
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।
10. गामीण विकास।
11. पीने वाला पानी।
12. ईधन तथा पशु चारा।
13. सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन।
14. ग्रामीण विद्युत
15. गैर पंरपरागत ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय।
18. यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा।
19. वयस्क एवं गैर–वयस्क औपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक कार्य
22. बाजार एवं मेले।
23. स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं
24. पारिवारिक समृद्धि।
25. महिला एवं बाल विकास।
26. सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग व मानसिक रोगी की समृद्धि निहित है।
27. कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनूसूचित जनजाति वर्ग शामिल हैं।
28. लोक विभाजन पद्धति।
29. सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख।

ग्राम पंचायत का बजटः प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निश्चित समय में एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष क लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित आमदनी और खर्चे का हिसाब–किताब तैयार करना।

हिसाब– किताब पंचायत की बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक वोटों से पास किया जाएगा।

बजट पास करने के लिए बुलाई गई ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम कुल सख्या का आधा होगा।

ग्राम सभा : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (अ) के अनुसार ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर विधि द्वारा प्रदत्त उन सभी कार्यो को करेगा जो कि राज्य स्तर पर राज्य विधानसभा करता है। 24–25 जुलाई, 2004 को पंचायती राज पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान यह अनुशंसा की गई थी कि राज्य सरकार गांवों में ग्रामीण स्तर से नीचे ऐसे सभाओं के गठन पर विचार करे जिससे कि प्रत्येक वार्ड का प्रत्येक वयस्क मतदाता उसमें प्रतिनिधित्व हो सके, साथ ही महिला सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा का पाक्षिक बैठक को भी संभावना खोज। इस संदर्भ में 2 अक्टूबर, 2009 को राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए दो सर्कुलर जारी किये गये। इनका संबंध वित्तीय वर्ष 2009–10 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाना तथा ग्राम सभा के प्रभावी संचालन से था।

किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में दो बार होनी आवश्यक है। इसे बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस से देनी होती है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाई का अधिकार ग्राम प्रधान को है। वह किसी समय असामान्य बैठक का भी आयोजन कर सकता है। दरबार बैठक के लिए 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है।

ग्राम प्रधान/सरपंच/मुखिया : प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष का प्रावधन है, जो ग्राम पधान, सरंपच अथवा मुख्या कहलाता है, तथा कुछ अन्य सदस्य होंगे। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 1 ग्राम पंचायत सदस्य (10 वार्ड सदस्य), 2000 की आबादी तक 11 सदस्य तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि जिसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में सविधान का भाग–9 लागू है वहां नियमित आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं। जिनमें झारखण्ड एक अपवाद है। पंचायती राज संस्थाओं मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी राज्यों में राज्य चुनाव आयोग तथा राज्य वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं।

ग्राम पंचायतों की समितियां

1. **नियोजन एवं विकास समिति** : इसका सभापति प्रधान होता है जबकि छः अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अनिर्वाय किया गया है। ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन कना इसके प्रमुख कार्य हैं।
2. **निर्माण कार्य समिति** : इसका सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है जबकि इसके छह अन्य सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य अनिवार्य किया गया है। इसका कार्य समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
3. **शिक्षा समिति** : इसका सभापति उप–प्रधान होता है जबकि छह अन्य सदस्य होते हैं जिसमें आरक्षण की उपर्युक्त प्रणाली भी लागू की गई है। प्रधानाध्यापक सहायोजित, अभिवाहक, सहयोजित प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचिारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि से जुड़े कार्य इसे करने होते है।
4. **प्रशासनिक समिति** : सभापति –प्रधान होता है जबकि इसमें छह अन्य सदस्य होते हैं। कर्मियों/खामियों सम्बन्धी प्रत्येक कार्य इसे करने होते हैं।
5. **स्वास्थ्य एवं कल्याण समितिः** सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया जाता है और इसके छह सदस्य होते हैं जिसमें आरक्षण के नियमों का अनुपालन जरूरी है। चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण इसके प्रमुख कार्य हैं।

6. **जल प्रबन्ध समिति** : सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया जाता है और छह अन्य सदस्य (आरक्षण उपर्युक्त की भाँति) भी इस समिति में शामिल होते हैं। इसके कार्यों में शामिल हैं प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमाण्ड एरिया में से उपभोक्ता सहयोजित राजकीय नलकूपों का संचालन, पेयजल, सम्बन्धी कार्य इत्यादि।

ग्राम पंचायत के आय के स्रोत : वर्त्तमान में पंचायत निम्नलिखित स्रोतों से धन प्राप्त करता है;

1. संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकाय अनुदाय।
2. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत कार्यक्रम विशिष्ट आवंटन
3. अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन।
4. राज्य सरकार से ऋण/अनुदान
5. आंतरिक संसाधन सृजन

राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर व गैर–कर राजस्व वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए ताकि उन्हें प्रभावी संस्था बनाया जा सके।

वैसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने के बावजूद विश्व के अन्य देशों के मामलों में भारत में स्थानीय निकायों के पास अपेक्षाकृत कम राजस्व था। एक आंकड़ै के मुताबित वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के कुल राजस्व का 15 प्रतिशत था वहीं भारत म समतुल्य आंकड़ा केवल 3 प्रतिशत था। उपयुक्त संविधान संशोधन के पश्चात भी केरल जैसे अपवाद राज्यों को छोड़ दिया जाये तो अधिकांश राज्यों में निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का हस्तांतरण नाममात्र ही रहा है।

इसके आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है;

- भू–राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पंचायत कर।
- प्रान्तीय सरकार स्थानीय आधिकारियों द्वारा अनुदान।
- मनोरंजन कर।
- गाँव के मेले, बाजारों आदि पर कर।
- पशुओं तथा वाहनों आदि पर कर।
- मछली तालाब से प्राप्त आय।
- नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए कर।
- कूड़ा–करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय।
- चूल्हा कर
- व्यापार तथा रोजगार कर
- सम्पत्ति के क्रय–विक्रय पर कर
- पशुओं का रजिस्ट्रेशन फीस
- दुग्ध उत्पादन कर आदि

ग्राम पंचायत के कर्मचारी

पंचायत सचिव : पंचायत के सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है।

ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) : विकास के लिए पंचायतों का परामर्शदाता तथा नीतियों को लागू करने में सहायक

चौकीदार :न्याय तथा शांति व्यवस्था के लिए पंचायत का सहायक।

ग्राम पंचायत निधि कोष : प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम कोष होता है। ग्राम पंचायत के वार्षिक आय–व्यय का लेखा–जोखा एवं अनुमान की सीमा के अंदर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या उसके किसी समिति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए धन खर्च किया जाता है। सम्बन्धित खातों का संचालन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

मध्यवर्ती (खंड) पंचायत

क्षेत्र पंचायत गाँव एवं जिले के मध्य सम्पर्क स्थापति करता है। इसके सदस्य होते है; निर्वाचित प्रमुख (कहीं–कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से भी चुना जाता है), क्षेत्र की समस्त पंचायत के प्रधान, निर्वाचित सदस्य लोकसभा एवं विधानसभा के वे सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों, राज्यसभा एवं राज्य विधानपरिषद् के वे सदस्य जो उसे क्षेत्र के मतदान हों। इनमें से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप–प्रमुख एक कनिष्ठ उप–प्रमुख चुना जाएगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायतों की बैठकों का सभापतित्व करता है, इसका कार्यकाल 5 वष्र का है। क्षेत्र पंचायत को सरकार द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। शेष नियम ग्राम पंचायत की भाँति हैं।

कार्यक्षेत्र : इसके प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है;

- ग्राम विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, मूल्याकंन व अनुश्रवण।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन।
- बीज केन्द्र का संचालन।
- सम्पत्तियों का रख–रखाव का दायित्व।
- विपणन, गोदामों का पर्यवेक्षण।
- पशु चिकित्सालय का स्वामित्व।
- एक से अधिक ग्राम पंचायतों का अच्छादित करने वाले कार्य।

क्षेत्र पंचायत के आय के स्रोत : क्षेत्र पंचायत के आय के स्रोत निम्नलिखित है;

- स्थानीय कर,
- मण्डियों से प्राप्त फीसें,
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण,
- दान तथा चन्दे,
- जिला परिषद् अथवा उसके द्वारा उपल्ब्ध तदर्थ अनुदान,
- क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए करों व शुल्कों को प्राप्त आय,
- घाटों, मेलों आदि के पट्टों से प्राप्त आय,
- क्षेत्र से उगाहे गए राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर सरकारी अनुदान,
- सरकार द्वारा क्षेत्र पंचायतों को जो परियोजनाएँ संचालित करने के लिए देती हैं, उसकी धनराशि।

क्षेत्र पंचायत निधि : क्षेत्र पंचायत निधि का संचालन खण्ड विकास अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत स्तर का अधिकारी होता है।

जिला पंचायत

पंचायती राज व्यवस्था का शीर्षस्तर जिला पंचायत है। इसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जिला पंचायत में निम्नलिखित सदस्य होते है,

- अध्यक्ष
- निर्वाचित सदस्य
- जिले से सम्बन्धित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद् के सदस्य,
- महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थान आरक्षित।

सचिव : सचिव जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है। वह जिला पंचायत की माँग पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव जिला पंचायत का बजट तैयार करता है तथा उसे जिला पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वह जिला पंचायत की ओर से सरकारी अनुदान तथा धन प्राप्त करता है। उसके द्वारा जिला पंचायत के आय–व्यय की अदायगी की जाती है।

मुख्य कार्यपालिका अधिकारी : यह प्रान्तीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च टाइम स्केल अधिकारियों मे से नियुक्त किया जाता है।

जिला पंचायत के कार्य : जिला पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है;

- जिला पंचायत जिले में क्षेत्र पंचायतों तथा पंचायतों के कार्यों में ताल मेल उत्पन्न करती है, उनको परामर्श देती है तथा उनके कार्यों की देखभाल करती है।
- जिला पंचायत को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि के क्षेत्रों में कार्यकारी कार्य भी करने पड़ते है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य हेतु दो–स्तरीय पंचायतों का प्रावधान है।
- पश्चिम बंगाल एक मात्र ऐसा राज्य है जहां चतुर्थ स्तरीय पंचायती प्रणाली है।
- पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। नई नियमावली के तहत प्रत्येक राज्य को केंद्रीय अनुदान के लिए जरूरी है कि वे नियमित अंतराल पर चुनाव आयोजित करें।
- अंतरिम व्यवस्था के अनुसार 1/2 सीट महिलाओं के लिये आरक्षित है। यानि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।
- पंचायती राज्य के सभी स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को उनके अनुपात के आरक्षण प्राप्त है।
- ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकारिणी का प्रथम इकाई है।

पंचायतों के आय के स्रोत

- पंचायती संस्थाओं के वित्त का सबसे बड़ा स्रोत सरकारी अनुदान है।
- पंचायतों के लिए किसी राज्य की विधान सभा तथा विधान मंडल विशेष प्रावधान कर सकती है। जैसे–
  1. चुंगी शुल्क लगाने तथा उसे संग्रहण करने का अधिकार सौंप सकती है।
  2. राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया या संग्रहित किया गया कर, चुंगी, परिवहन कर और शुल्क पंचायतों को दिया जा सकता है।
  3. राज्य सरकार, घर तथा बाजार पर भी पंचायतों को कर लगाने की अनुमति देता हैं
  4. विभिन्न सरकारी योजनाएं (चाहे केंद्र प्रायोजित हो या राज्य प्रायोजित को मिलने वाली राशि पंचायत में भेजी जातीहै।
  5. सामुदायिक कार्य के लिए मिलने वाला धन।

  नोट :– पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद पंचायतों में आवंटिश राशि के वितरण की व्यवस्था करता है।